रजिस्ट्री सं० डी०-221 REGISTERED NO. D.-221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2—अनुभाग 3क
PART II— SECTION 3A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, बुधवार, 18 सितम्बर, 2013/27 भाद्रपद, 1935 (शक) [खण्ड XLIV
No. 7] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER, 18, 2013/BHADRAPADA, 27, 1935 (SAKA) [Vol. XLIV

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

राजभाषा खंड

नई दिल्ली, बुधवार, 18 सितम्बर, 2013/27 भाद्रपद, 1935 (शक)

दादरा एंड नागर हवेली पंचायत रेग्यूलेशन 2012 का हिन्दी अनुवाद, राष्ट्रपति के प्राधिकार से, प्रकाशित किया जाता है और राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन, यह हिन्दी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा :—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

OFFICIAL LANGUAGES WING

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER, 18, 2013/BHADRAPADA, 27, 1935 (SAKA)

The translation in Hindi of the Dadra and Nagar Haveli Panchayat Regulation, 2012 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (*b*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963) :—

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

दादरा और नागर हवेली पंचायत विनियम, 2012

(2012 का विनियम संख्यांक 5)

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित रूप में प्रख्यापित।

दादरा और नागर हवेली में पंचायतों का और उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए

विनियम

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 240 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम को प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम दादरा और नागर हवेली पंचायत विनियम, 2012 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र पर है।

(3) यह उस तारीख़ को प्रवृत्त होगा जो प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं—इस विनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रशासन" से दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अभिप्रेत है;

(ख) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(ग) "भवन" के अंतर्गत कोई गृह, उपभवन, अस्तबल, शौचालय, मूत्रालय, शेड, झोंपड़ी, दीवार (8 फीट से अनधिक ऊंचाई वाली सीमा दीवार से भिन्न) और कोई अन्य ढांचा भी है चाहे वह पक्की चिनाई, इंटों, लकड़ी, धातु या किसी अन्य सामग्री का हो किंतु इसके अंतर्गत समारोह या त्यौहार के अवसरों पर परिनिर्मित अस्थायी ढांचा या तंबू नहीं है;

(घ) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" से प्रशासक द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत के रूप में नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "पंचायत निदेशक" से उस विभाग के सचिव के प्रत्यक्ष नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन, कार्य करने वाले पंचायत राज विभाग में पंचायतों का कोई भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "जिला" से इस विनियम के प्रयोजन के लिए प्रशासक द्वारा, जिला होने के लिए लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कोई जिला अभिप्रेत है;

(छ) "जिला न्यायाधीश" से दादरा और नागर हवेली का जिला न्यायाधीश अभिप्रेत है;

(ज) "जिला पंचायत" से धारा 54 के अधीन गठित जिला पंचायत अभिप्रेत है;

(झ) "जिला पंचायत निधि" से धारा 80 के अधीन गठित निधि अभिप्रेत है;

(ञ) "निर्वाचन आयोग" से धारा 99 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है;

(ट) "वित्त आयोग" से धारा 100 में निर्दिष्ट वित्त आयोग अभिप्रेत है;

(ठ) "ग्राम" से कोई ग्राम अभिप्रेत है;

(ड) "ग्राम निधि" से धारा 35 में निर्दिष्ट कोई निधि अभिप्रेत है;

(ढ) "ग्राम पंचायत" से इस विनियम के अधीन गठित कोई ग्राम पंचायत अभिप्रेत है;

(ण) "ग्राम सभा" से धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन गठित ग्राम सभा अभिप्रेत है;

(त) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा :

(थ) "राजपत्र" से दादरा और नागर हवेली का राजपत्र अभिप्रेत है;

(द) "पंचायत क्षेत्र" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन प्रशासक द्वारा घोषित किसी ग्राम पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ध) "पंचायत सचिव" से धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई पंचायत सचिव अभिप्रेत है;

(न) "विहित" से इस विनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(प) "अध्यक्ष" और "उपाध्यक्ष" से जिला पंचायत का क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(फ) "सार्वजनिक सड़क" से ऐसा पथ, सड़क, गली, चौक, प्रांगण, अली, कार्ट ट्रैक, पैदल मार्ग, या सवारी रास्ता अभिप्रेत है जिस पर जनता को चलने का अधिकार होता है, चाहे वह सार्वजनिक मार्ग हो या नहीं इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है;

(i) किसी सार्वजनिक पुल या सेतु मार्ग के ऊपर सड़क मार्ग;

(ii) ऐसी सड़क, सार्वजनिक पुल या सेतु मार्ग से संलग्न पैदल मार्ग; और

(iii) ऐसे किसी मार्ग, सड़क, सार्वजनिक पुल या सेतु मार्ग और ऐसी भूमि जो सड़क मार्ग के दोनों ओर संपत्ति पार्श्वस्थ की सीमाओं से संलग्न नालियां;

(iv) ऐसी भूमि जो सड़क के दोनों ओर—

(क) संपत्ति पार्श्वस्थ की सीमाओं तक स्थित है; या

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा इस संबंध में सम्यक् रूप से अधिसूचित मार्ग के अधिकार तक स्थित है;

(ब) "विनियम" से दादरा और नागर हवेली पंचायत विनियम, 2012 अभिप्रेत है;

(भ) "सरपंच" से किसी ग्राम पंचायत का सरपंच अभिप्रेत है;

(म) "अनुसूची" से इस विनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;

(य) "सचिव पंचायत" से दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र में पंचायती राज विभाग का भारसाधक सचिव अभिप्रेत है;

(यक) "धारा" से इस विनियम की धारा अभिप्रेत है;

(यख) "कर" से इस विनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कोई कर, उपकर, दर या अन्य लाभ अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत फीस नहीं है;

(यग) "संघ राज्यक्षेत्र" से दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

(यघ) "उपसरपंच" से ग्राम पंचायत का उपसरपंच अभिप्रेत है;

(यङ) "गांव" से प्रशासक द्वारा, इस विनियम के प्रयोजन के लिए गांव होने के लिए लोक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कोई गांव अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट गांवों का समूह भी है;

(यच) "वार्ड" से किसी जिले के वार्ड से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना कोई निकाय अभिप्रेत है।

अध्याय 2

ग्राम सभा

3. पंचायत क्षेत्र की घोषणा और ग्राम सभा का गठन—(1) प्रशासक, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा, किसी गांव या गांवों के किसी समूह या उसके किसी भाग या भागों अथवा उनमें से कोई दो या अधिक के संयोजन से मिलकर बनने वाले किसी स्थानीय क्षेत्र को, इस विनियम के प्रयोजनों के लिए पंचायत क्षेत्र घोषित करेगा और उसके मुख्यालय भी विनिर्दिष्ट करेगा।

(2) प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए नाम द्वारा एक ग्राम सभा का गठन करेगा।

4. ग्राम सभा की संरचना—ग्राम सभा, ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जो गांव या पंचायत क्षेत्र में समाविष्ट किसी गांव या गांवों के समूह से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में रजिस्ट्रीकृत है :

परंतु कोई व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह,—

(क) अठारह वर्ष से कम आयु का है;

(ख) भारत का नागरिक नहीं है;

(ग) विकृत चित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; और

(घ) उस गांव के भीतर मामूली तौर से निवासी नहीं है जिसके लिए ग्राम सभा गठित की गई है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को किसी गांव का मामूली तौर से निवासी समझा जाएगा यदि वह ऐसे गांव में मामूली तौर से निवास कर रहा है या वहां उसके कब्जे में अधिभोग के लिए निवास गृह है।

5. ग्राम सभा का निगमन—प्रत्येक ग्राम सभा, धारा 3 के अधीन राजपत्र में अधिसूचित नाम से शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगा और ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो इस विनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित की जाएं, जंगम और स्थावर दोनों संपत्ति का अर्जन, धारण, प्रबंध और अंतरण करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा या उस पर वाद लाया जाएगा :

परंतु ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का, इस विनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित ग्राम पंचायत द्वारा प्रयोग किया जाएगा, उसका अनुपालन और निर्वहन किया जाएगा।

6. ग्राम सभा के क्षेत्र में परिवर्तन—(1) प्रशासक ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे और संबंधित ग्राम सभा या ग्राम सभाओं के परामर्श से किसी भी समय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) किसी ग्राम में कोई क्षेत्र सम्मिलित कर सकेगा; या

(ख) किसी ग्राम से किसी क्षेत्र को अपवर्जित कर सकेगा; या

(ग) यह घोषित कर सकेगा कि कोई स्थानीय क्षेत्र ग्राम में नहीं रहा है; या

(घ) किसी ग्राम सभा के मुख्यालय को परिवर्तित कर सकेगा; या

(ङ) किसी ग्राम सभा का नाम परिवर्तित कर सकेगा।

(2) जहां, उपधारा (1) के अधीन किसी अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को किसी गांव में सम्मिलित किया जाता है वहां, ऐसा क्षेत्र उसके द्वारा इस विनियम और ग्राम सभा की अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन सभी अधिसूचनाओं, नियमों, उपविधियों और किए गए आदेशों के अधीन हो जाएगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम सभा का संपूर्ण क्षेत्र कोई ग्राम सभा नहीं रह जाता है वहां ग्राम सभा अस्तित्वहीन हो जाएगी और उसकी आस्तियों और दायित्वों का विहित रीति में व्ययन कर दिया जाएगा और यदि ऐसे क्षेत्र के किसी भाग को किसी ग्राम सभा से अपवर्जित कर दिया जाता है तो ग्राम सभा की अधिकारिता उस भाग तक कम हो जाएगी।

7. सदस्यता की समाप्ति—(1) ग्राम सभा का कोई सदस्य, सदस्य नहीं रहेगा यदि—

(क) वह धारा 4 के अधीन निरर्हित हो जाता है; या

(ख) ऐसा क्षेत्र जहां वह निवास करता है, ग्राम सभा की अधिकारिता से अपवर्जित कर दिया गया है; या

(ग) वह ग्राम सभा की अधिकारिता के भीतर मामूली तौर पर निवासी नहीं रहा है।

(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन किसी ग्राम सभा का सदस्य नहीं रहता है वहां वह किसी ऐसे पद को धारण करने से भी प्रविरत हो जाएगा जिसके लिए वह उसके सदस्य होने के कारण निर्वाचित या नियुक्त किया गया है।

8. ग्राम सभा का अधिवेशन—(1) प्रत्येक ग्राम सभा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम चार साधारण अधिवेशन करेगी और यह सरपंच का दायित्व होगा कि वह ऐसे अधिवेशनों को बुलाए :

परंतु सरपंच ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक बटा दस सदस्यों द्वारा लिखित रूप में की गई अध्यपेक्षा के आधार पर, ऐसी अध्यपेक्षा की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर ग्राम सभा का असाधारण अधिवेशन बुलाएगा :

परंतु यह और कि जहां सरपंच, इस उपधारा के अधीन अधिवेशन बुलाने में असफल रहता है वहां ऐसा प्राधिकारी, जो विहित किया जाए तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसा अधिवेशन बुलाएगा।

(2) सरपंच या उसकी अनुपस्थिति में उपसरपंच या दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम सभा द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति ऐसे अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(3) ग्राम सभा के किसी भी साधारण अधिवेशन के लिए उसके सदस्यों की कुल संख्या का एक बटा दस सदस्यों से गणपूर्ति होगी और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चय किया जाएगा।

(4) अधिवेशनों के समय और स्थान की सूचना विहित रीति से दी जाएगी।

9. साधारण अधिवेशन के कारबार का संव्यवहार—(1) सरपंच, ग्राम सभा के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए निम्नलिखित विषय रखेगा, अर्थात् :—

(क) लेखाओं का वार्षिक विवरण;

(ख) प्राक्कलित बजट;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्य के विकासात्मक और अन्य कार्यक्रम;

(घ) नए कराधान या वर्धित कराधान के प्रस्ताव;

(ङ) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन की रिपोर्ट;

(च) अंतिम संपरीक्षा टिप्पण और उनके उत्तर।

(2) ग्राम सभा निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगी और ग्राम पंचायतों को सिफारिशें और सुझाव देगी, अर्थात् :—

(क) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट;

(ख) ग्राम पंचायतों की स्कीमों की योजना का पर्यवेक्षण, समन्वय और मानिटर करना;

(ग) पंचायत शोध्यों की वसूली;

(घ) अंतिम संपरीक्षा रिपोर्ट और उसके दिए गए उत्तर;

(ङ) किसी विनिर्दिष्ट कार्य के लिए, जिसके अंतर्गत कोई कार्यक्रम भी है, स्थानीय लोगों की सामुदायिक सेवा, स्वैच्छिक श्रम या गतिशीलता संचालित करने के लिए प्रस्ताव :

परंतु ग्राम सभा की सिफारिशों पर यथासाध्य ग्राम पंचायत द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

10. ग्राम सभा के कृत्य—ग्राम सभा निम्नलिखित कृत्य करेगी, अर्थात् :—

(i) प्रशासन के विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों और स्थलों की पहचान;

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्राथमिकताओं का अवधारण;

(iii) सहायता अनुदान या ग्राम पंचायत निधियों से ग्राम पंचायत द्वारा किए गए विकास कार्य की बाबत उपयोग प्रमाणपत्र जारी करना;

(iv) कोई अन्य कृत्य जो समय-समय पर प्रशासक द्वारा सौंपा जाए।

11. ग्राम सभा की पर्यवेक्षी समितियां—(1) ग्राम सभा कम से कम दो पर्यवेक्षी समितियों का ऐसी रीति से, जो ग्राम पंचायत के कार्य और ग्राम के अन्य क्रियाकलापों के पर्यवेक्षण के लिए विहित की जाए, गठन करेगी।

(2) पर्यवेक्षण समितियां, ग्राम पंचायत को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी और अपनी रिपोर्ट की प्रति ग्राम सभा के अधिवेशन में भी प्रस्तुत करेंगी।

अध्याय 3

ग्राम पंचायत और निर्वाचन

12. ग्राम पंचायतों का गठन—(1) प्रत्येक ग्राम सभा, अपने गठन के पश्चात् यथाशीघ्र प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ग्राम पंचायत नामक एक कार्यकारी समिति और उस समिति के सरपंच नामक अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी।

(2) कोई ग्राम पंचायत, सरपंच सहित नौ से अन्यून या पंद्रह से अनधिक उतने स्थानों से मिलकर बनेगी जो पंचायत निदेशक, प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचित करे।

(3) किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले उस पंचायत के स्थानों की संख्या का अनुपात, यथासाध्य संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र में एक समान होगा।

(4) प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को, निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसी रीति से प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जिससे संपूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आबंटित स्थानों की संख्या के मध्य अनुपात यथासाध्य एक समान हो जाए।

(5) प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान निर्वाचन आयोग द्वारा किसी ग्राम पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम से ऐसी रीति से आबंटित किए जाएंगे जो विहित की जाए :

परंतु ऐसा आरक्षण तब आवश्यक नहीं होगा यदि किसी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या, एक स्थान भरे जाने के लिए अपेक्षित आनुपातिक जनसंख्या के आधे से कम है।

(6) उपधारा (5) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम आधे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(7) प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम आधे (जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान निर्वाचन आयोग द्वारा किसी ग्राम पंचायत के भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम से ऐसी रीति से आबंटित किए जा सकेंगे जो विहित की जाए।

(8) उपधारा (6) और उपधारा (7) के अधीन आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या प्रशासक द्वारा, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा अवधारित की जाएगी।

(9) प्रशासक—

(क) ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरपंच के पदों की संख्या

आरक्षित करेगा जिसका अनुपात ग्राम पंचायतों में ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे क्षेत्र में, जिसके लिए यह विनियम विस्तारित है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है।

(ख) ग्राम पंचायतों में सरपंचों के पदों की कुल संख्या के कम से कम आधे पद स्त्रियों के लिए आरक्षित करेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन आरक्षित पद निर्वाचन आयोग द्वारा, भिन्न-भिन्न ग्राम पंचायतों के लिए चक्रानुक्रम में ऐसी रीति से आबंटित किए जाएंगे, जो विहित की जाए।

13. मतदान करने और निर्वाचित होने के लिए अर्हित व्यक्ति—(1) ग्राम सभा का प्रत्येक सदस्य, जब तक इस विनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निरर्हित नहीं किया जाता है, ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन में या ग्राम सभा में किसी अधिवेशन में मत देने के लिए अर्हित होगा।

(2) ग्राम सभा का प्रत्येक सदस्य, जब तक इस विनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निरर्हित नहीं किया जाता है, ग्राम पंचायत में सदस्य के रूप में या उसके सरपंच के रूप में या दोनों के रूप में किसी स्थान को भरने हेतु निर्वाचित होने के लिए अर्हित होगा :

परंतु यदि कोई व्यक्ति सदस्य और सरपंच दोनों पद पर निर्वाचित हो जाता है तो वह राजपत्र में परिणाम के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर दोनों में से एक पद का त्याग कर देगा, जिसके असफल होने पर ग्राम पंचायत में उसका स्थान खाली हो जाएगा।

(3) ऐसे त्यागपत्र के परिणामस्वरूप हुई रिक्ति, उस प्रयोजन के लिए उपनिर्वाचन के आधार पर भरी जाएगी।

14. निरर्हता—(1) कोई व्यक्ति, ग्राम पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और होने के लिए या उस रूप में बने रहने के लिए निरर्हित होगा, यदि—

(क) वह ग्राम पंचायत को एक वर्ष से अधिक का शोध्य कोई कर, फीस या कोई राशि का संदाय करने में असफल रहता है :

परंतु ऐसी निरर्हता केवल तभी प्रवर्तन में रहेगी यदि ऐसे व्यक्ति पर ऐसे बकायों की सूचना की सम्यक् रूप से तामील की जाती है और ऐसे बकायों को ग्राम पंचायत के लोक सूचना पट्ट पर निर्वाचन की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व प्रदर्शित किया गया हो; या

(ख) वह ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के अधीन कोई वैतनिक पद या लाभ का पद धारण करता है; या

(ग) उसका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से या कुटुंब के अव्यवहित सदस्य के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा या उसके लिए या ग्राम पंचायत के साथ या उसके अधीन या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से की गई किसी संविदा या नियोजन में किए गए किसी कार्य में कोई अंश या धनीय हित है; या

(घ) वह एक सरकारी सेवक है या किसी नगर-पालिका या ग्राम पंचायत की सेवा में है; या

(ङ) उसको मतदान की तारीख के पांच वर्ष के भीतर अवचार के लिए सरकारी या नगरपालिका या पंचायत की सेवा से पदच्युत किया गया है; या

(च) उसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है; या

(छ) उसको दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 109 या धारा 110 के अधीन सद्व्यवहार के लिए प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है; या

(ज) उसको किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें हिंसा या नैतिक अधमता अंतर्वलित है और उसको कम से कम तीन मास के कारावास का दंडादेश दिया गया है और उसकी निर्मुक्ति के पांच वर्ष व्यपगत नहीं हुए हैं; या

(झ) वह ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना तीन क्रमवर्ती अधिवेशनों से अनुपस्थित रहा है; या

(ञ) वह विकृत चित्त का है और उसको किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

(ट) उसको किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है; या

(ठ) उसको भ्रष्ट आचरण अंगीकृत करने के लिए या ऐसी निरर्हता की अवधि के दौरान किसी निर्वाचन में निर्वाचन संबंधी अपराध करने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निरर्हित किया गया है; या

(ड) उसको खंड (च) के अधीन रहते हुए लोक सभा के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित किया गया है।

(ढ) वह भारत का नागरिक नहीं है।

(2) कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए निरर्हित हो जाएगा यदि उसे पांचवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित किया जाता है।

15. निरर्हता पर विनिश्चय—यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई व्यक्ति धारा 7 या धारा 13 या धारा 14 में निर्दिष्ट किसी निरर्हता से ग्रस्त है, तो उसको प्रशासक को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा :

परंतु ऐसे किसी प्रश्न पर कोई विनिश्चय करने के पूर्व, प्रशासक, निर्वाचन आयोग की राय अभिप्राप्त करेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

16. सदस्यों का निर्वाचन—किसी ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन ऐसी रीति में किया जाएगा (जिसके अंतर्गत मतदान की रीति भी है), जो विहित की जाए और ऐसी तारीख या तारीखों को किया जाएगा जो प्रशासक, निर्वाचन आयोग के परामर्श से अधिसूचना द्वारा निदेश की जाएं :

परंतु कोई आकस्मिक रिक्ति, ऐसी रिक्ति होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर भरी जाएगी :

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन किसी ग्राम पंचायत के साधारण निर्वाचन के पूर्व छह मास के भीतर हुई किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए कोई निर्वाचन नहीं किया जाएगा।

17. उपसरपंच का निर्वाचन—(1) इस विनियम के अधीन पहली बार किसी ग्राम पंचायत के गठन पर या ग्राम पंचायत की अवधि के समाप्त होने पर या उसके पुनर्गठन पर उपसरपंच का, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, निर्वाचन करने के लिए प्रशासक द्वारा नियत तारीख को एक अधिवेशन बुलाया जाएगा।

(2) प्रशासक द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा किंतु उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(3) ऐसे अधिवेशन में उपसरपंच के निर्वाचन से भिन्न कोई कामकाज नहीं किया जाएगा।

(4) मत के बराबर होने की दशा में निर्वाचन का परिणाम, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी की उपस्थिति में ऐसी रीति से जो वह अवधारित करे, लॉट से ड्रा द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

18. सरपंच के कार्यपालिका संबंधी कृत्य—इस विनियम के अधीन ग्राम पंचायत की कार्यपालिका शक्ति और इस विनियम के अधीन ग्राम पंचायत पर अधिरोपित कर्तव्यों की सम्यक् पूर्ति और ग्राम पंचायत के संकल्प को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सरपंच में निहित होगा।

19. ग्राम पंचायत का कार्यकाल—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत, जब तक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसको पहले विघटित नहीं कर दिया जाता है, अपने पहले अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष के लिए बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी इस विनियम के प्रवृत्त होने के ठीक पहले कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों के सदस्य, दादरा और नागर हवेली पंचायत विनियम, 1965 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक अपने पद पर बने रहेंगे।

(3) किसी ग्राम पंचायत को गठित करने के लिए निर्वाचन—

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा;

(ख) उसके विघटित होने की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा :

परंतु जहां ऐसी शेष अवधि, जिसके लिए विघटित ग्राम पंचायत जारी रखी जाएगी, छह मास से कम है वहां ऐसी अवधि के लिए ग्राम पंचायत के गठन के लिए इस उपधारा के अधीन कोई निर्वाचन करना आवश्यक नहीं होगा।

(4) किसी ग्राम पंचायत के, उसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व, विघटन के आधार पर गठित कोई ग्राम पंचायत, केवल ऐसी शेष अवधि के लिए जारी रहेगी जिसके लिए विघटित ग्राम पंचायत यदि वह ऐसे विघटित न होती तो उपधारा (1) के अधीन जारी रहती।

20. पद की शपथ—(1) ग्राम पंचायत के पहले अधिवेशन के पश्चात्, उसका प्रत्येक सदस्य और सरपंच तथा उपसरपंच, यथाशीघ्र, ऐसे अधिकारियों के समक्ष, जो प्रशासक विनिर्दिष्ट करे, पहली अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप में पद की शपथ लेगा।

(2) ऐसा कोई सदस्य, जिसने ऐसी शपथ नहीं ली है, किसी अधिवेशन की कार्यवाहियों में न तो मतदान करेगा या न भाग लेगा और न ही उसको ग्राम पंचायत द्वारा गठित किसी समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

21. पद से त्यागपत्र—(1) ग्राम पंचायत का कोई सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सूचना के अधीन सरपंच को इस प्रभाव की लिखित में सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र सरपंच द्वारा उसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा।

(2) उपसरपंच, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सूचना के अधीन सरपंच को लिखित में सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा, और ऐसा त्यागपत्र, सरपंच द्वारा उसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा।

(3) सरपंच, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को लिखित में सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा, और ऐसा त्यागपत्र, पंचायत सचिव द्वारा उसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा।

(4) जहां सरपंच या उपसरपंच का पद रिक्त है वहां ग्राम पंचायत के सदस्य, यथास्थिति, सरपंच या उपसरपंच के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से किसी व्यक्ति को, ऐसे पदों के लिए निर्वाचन लंबित रहने तक निर्वाचित कर सकेंगे।

22. अविश्वास प्रस्ताव—(1) सरपंच या उपसरपंच के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सूचना के अधीन ऐसे सरपंच को उसकी सूचना देकर लाया जा सकेगा :

परंतु ऐसी कोई सूचना सरपंच या उपसरपंच द्वारा पद ग्रहण करने के छह मास के पूर्व नहीं दी जाएगी।

(2) ग्राम पंचायत का विशेष अधिवेशन, उस तारीख से, जिसको अविश्वास प्रस्ताव विचार विमर्श करने के लिए लाया गया है, पंद्रह दिन की अवधि के भीतर बुलाया जाएगा और अविश्वास प्रस्ताव का विनिश्चय किया जाएगा।

(3) यदि अविश्वास प्रस्ताव, ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत द्वारा लाया जाता है तो ग्राम पंचायत, यथास्थिति, सरपंच या उपसरपंच को उसके पद से हटाए जाने के लिए ग्राम सभा से सिफारिश करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन सिफारिश के प्राप्त होने पर ग्राम सभा का अधिवेशन बुलाया जाएगा, जिसमें ग्राम सभा की कुल सदस्यता के एक तिहाई से अन्यून की गणपूर्ति होगी और सिफारिश का उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन सिफारिश का अनुमोदन किए जाने पर सरपंच सिवाय इसके कि वह पहले त्यागपत्र दे दे, उस तारीख से जिसको सिफारिश का अनुमोदन किया जाता है, तीन दिन की अवधि के पश्चात् पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा।

(6) यदि ग्राम पंचायत की सिफारिश का उपधारा (4) के अधीन ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाता है या ग्राम सभा के विशेष अधिवेशन में गणपूर्ति नहीं होती है तो ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध उस तारीख से, जिसको सिफारिश पर ग्राम सभा का अनुमोदन नहीं मिलता है या उस तारीख से जिसको गणपूर्ति के अभाव में सिफारिश पर विचार नहीं किया जा सका है, छह मास की अवधि के भीतर कोई नया अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।

(7) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा सरपंच या उपसरपंच, जिसको हटाए जाने के लिए उपधारा (3) के अधीन अविश्वास प्रस्ताव या सिफारिश विचाराधीन है, उपधारा (2) के अधीन ग्राम पंचायत के और उपधारा (4) के अधीन ग्राम सभा के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेगा किंतु उसको ऐसे अधिवेशन की कार्यवाहियों में बोलने या अन्यथा उनमें भाग लेने का अधिकार होगा।

23. पद से हटाया जाना—(1) पंचायत सचिव, पंचायत को सम्यक् सूचना देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, किसी ग्राम पंचायत के ऐसे किसी सदस्य (जिसके अंतर्गत सरपंच या उपसरपंच भी है) को पद से हटा सकेगा जो अवचार या कर्तव्य की उपेक्षा या कर्तव्यों के निर्वहन में लगातार शिथिलता का दोषी है और इस प्रकार हटाया गया सदस्य पंचायत की शेष अवधि के दौरान पुनः निर्वाचन का पात्र नहीं होगा।

(2) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसके पद से हटाया गया है, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रशासक को अपील कर सकेगा जो, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् हटाए जाने के आदेश को उपांतरित, अपास्त या उसकी पुष्टि कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हटाए जाने संबंधी पारित आदेश, उस अवधि की समाप्ति के पूर्व जिसके दौरान उपधारा (2) के अधीन अपील की जा सकती है, प्रभावी नहीं होगा।

(4) अपील में प्रशासक द्वारा पारित कोई आदेश अंतिम होगा।

(5) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई अपील फाइल की गई है, वहां प्रशासक, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी के आदेश का प्रवर्तन, अपील का निपटारा होने तक रोक देगा।

24. आकस्मिक रिक्ति—ग्राम पंचायत में सरपंच या उपसरपंच के पद पर कोई आकस्मिक रिक्ति, उसकी शेष अवधि के लिए इस विनियम के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी :

परंतु यदि सरपंच का कोई स्थान या पद अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अथवा स्त्री के लिए आरक्षित है तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य या स्त्री से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसी रिक्ति के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा।

25. ग्राम पंचायत के अधिकारी और सेवक—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक पंचायत सचिव होगा जिसकी नियुक्ति प्रशासक द्वारा की जाएगी और वह ग्राम निधि से वेतन और भत्ते लेगा।

(2) पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत के कार्यालय का भारसाधक होगा और वह ऐसे सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और ऐसी सभी शक्तियों का पालन करेगा, जो इस विनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन उसको अधिरोपित या प्रदत्त की जाएं।

(3) पंचायत सचिव, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो प्रशासक द्वारा अनुशासन और नियंत्रण के संबंध में विरचित किए जाएं, सरपंच के साधारण अधीक्षण के अधीन सभी विषयों में कार्रवाई करेगा जिनके द्वारा वह ग्राम पंचायत के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) ग्राम पंचायत, ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को और उतनी संख्या में जो समय-समय पर आवश्यक हो और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त कर सकेगी :

परंतु ऐसा कोई पद सृजित नहीं किया जाएगा जिसके लिए कोई बजट उपबंध नहीं किया गया है और जिसका प्रशासक द्वारा अनुमोदित कर्मचारिवृंद पद्धति में उपबंध नहीं किया गया है।

(5) उपधारा (4) के अधीन भर्ती ऐसे कर्मचारिवृंद की तैनाती और स्थानांतरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी पर निर्भर करेगा।

(6) पंचायत सचिव की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा कर्तव्य और अन्य अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

26. ग्राम पंचायत के अधिवेशन—(1) ग्राम पंचायत के अधिवेशनों का समय और स्थान और ऐसे अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए।

(2) किसी ग्राम पंचायत का कोई सदस्य, किसी अधिवेशन में किसी संकल्प का प्रस्ताव कर सकेगा और सरपंच या उपसरपंच से, ग्राम पंचायत के प्रशासन से संबंधित विषयों पर ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रश्न कर सकेगा।

(3) ग्राम पंचायत के किसी संकल्प को ग्राम पंचायत के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित किसी संकल्प के सिवाय, उसके पारित किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर ग्राम पंचायत द्वारा संशोधित, परिवर्तित या रद्द नहीं किया जाएगा।

27. समितियां—(1) ऐसे नियंत्रण और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, ग्राम पंचायत, अपनी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और अपने ऐसे कर्तव्यों तथा कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, समितियां नियुक्त कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी समिति का गठन पांच से अनधिक सदस्यों से किया जाएगा और उसको ऐसे कारणों से और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, विघटित या पुनर्गठित किया जा सकेगा।

(3) प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपनी किसी समिति द्वारा लिए गए किन्हीं विनिश्चयों को रद्द करने, पुनरीक्षित करने या उपांतरित करने की शक्तियां होंगी।

28. कतिपय दशा में कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना—किसी ग्राम पंचायत या उसकी किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, किसी रिक्ति के विद्यमान होने के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी।

अध्याय 4

ग्राम पंचायत की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य

29. ग्राम पंचायत के कर्तव्य और कृत्य—(1) जहां तक ग्राम निधि अनज़ात करे ग्राम पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह, दूसरी अनुसूची विनिर्दिष्ट विषयों की बाबत अपनी अधिकारिता के भीतर युक्तियुक्त उपबंध करें।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए ग्राम पंचायत को ऐसे विकास और सामाजिक न्याय के लिए जिसके अंतर्गत वे विषय भी हैं जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में हैं, योजनाएं बनाने और स्कीमों को कार्यान्वित करने की शक्तियां और उत्तरदायित्व होंगे।

30. कतिपय संपत्तियों पर ग्राम पंचायत का नियंत्रण—(1) ग्राम पंचायत धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन प्रशासन द्वारा उसके निदेशन, प्रबंध और नियंत्रण के अधीन रखी गई सभी सड़कों, मार्गों, पुलों, पुलियाओं और अन्य संपत्तियों की बाबत, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसके रख-रखाव और मरम्मत के लिए और विशिष्ट रूप से निम्नलिखित के संबंध में सभी आवश्यक कार्य कर सकेगी,—

(क) किसी ऐसी सड़क, पुल या पुलिया को चौड़ा करने, खोलने, बढ़ाने या अन्यथा कोई सुधार करने और ऐसी सड़कों के किनारों पर वृक्ष लगाना और संरक्षित करना;

(ख) धारा 37 की उपधारा (1) के खंड (ग) में उल्लिखित किसी जल-सरणी और अन्य संपत्ति को गहरा या अन्यथा कोई सुधार करना; और

(ग) किसी ऐसी सार्वजनिक सड़क या मार्ग और भवन पर प्रक्षेपित किसी झाड़ी या टहनी अथवा किसी वृक्ष को काटना।

(2) ग्राम पंचायत का ऐसी सभी सड़कों, मार्गों, जल-मार्गों, पुलों और पुलियाओं पर भी नियंत्रण होगा, जो उसकी अधिकारिता के भीतर अवस्थित हैं, जो प्राइवेट संपत्ति नहीं है या जो तत्समय सरकार के नियंत्रणाधीन संपत्ति नहीं है, और उनके तथा विशिष्ट रूप से निम्नलिखित के सुधार, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए आवश्यक कार्य कर सकेगी—

(क) नई सड़कों का अभिन्यास और बनाना; और

(ख) नए पुलों और पुलियों का सन्निर्माण।

31. ग्राम पंचायत को किसी संकर्म या संस्था का अंतरण—प्रशासक, ग्राम पंचायत को, प्रशासन या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की ओर से किसी संकर्म का निष्पादन, अनुरक्षण या मरम्मत अथवा किसी संस्था का प्रबंध न्यस्त कर सकेगा :

परंतु प्रशासन या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ऐसे संकर्म के निष्पादन, अनुरक्षण या मरम्मत के लिए अथवा ऐसी संस्था के प्रबंध के लिए आवश्यक निधियां ग्राम पंचायत के प्रबंधाधीन होंगी।

32. राजस्व का संग्रहण—(1) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट स्कीम के अधीन वसूलनीय करों, भू-राजस्व और अन्य शोध्यों के संग्रहण करने के कार्य और कर्तव्य ग्राम पंचायत को न्यस्त कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी ग्राम पंचायत को कोई कार्य या कर्तव्य न्यस्त किए जाते हैं वहां प्रशासक ऐसी ग्राम पंचायत को ऐसी दरों पर संग्रहण प्रभारों का संदाय करेगा जो वह इस निमित्त अवधारित करे।

33. गांव स्वयं सेवक बल—(1) इस विनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए कोई ग्राम पंचायत, गांव में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों के समर्थ निकाय को मिलाकर जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और जो ऐसे बल में संयोजित होने के लिए रजामंद हैं, एक गांव स्वयं सेवक बल का गठन कर सकेगी और ऐसे बल को किसी उपयुक्त व्यक्ति के समादेश के अधीन रखा जाएगा।

(2) गांव स्वयं सेवक बल की सेवाएं साधारण पहरा और निगरानी के प्रयोजन के लिए तथा अग्नि, बाढ़, महामारी के प्रादुर्भाव या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों में उपयोजित की जा सकेंगी।

(3) गांव स्वयं सेवक बल का कोई सदस्य, ऐसे बल के किसी सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सद्भावपूर्ण निर्वहन में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के कारण हुई नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

34. संविदाओं का निष्पादन—किसी ग्राम पंचायत द्वारा की गई प्रत्येक संविदा या करार पर सरपंच और पंचायत सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उस पर ग्राम पंचायत की सामान्य मुद्रा मुद्रांकित की जाएगी।

अध्याय 5
वित्त, संपत्ति और लेखे

35. ग्राम निधि—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक "ग्राम निधि" होगी और उसका उपयोजन, इस विनियम द्वारा ग्राम पंचायत पर अधिरोपित कर्तव्यों और दायित्वों को कार्यान्वित करने के लिए किया जाएगा।

(2) ग्राम निधि में निम्नलिखित जमा किया जाएगा, और वे उसका भाग होंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 38 के अधीन अधिरोपित किसी कर या फीस के आगम;

(ख) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा व्यक्ति द्वारा किए गए अभिदाय;

(ग) किसी प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा आदेशित ग्राम निधि में जमा की जाने वाली सभी राशियां;

(घ) ऐसी प्रतिभूतियों से आय, जिनमें ग्राम निधि का विनिधान किया है;

(ङ) भू-राजस्व के संग्रहण या प्रशासन से अन्य अनुदानों में हिस्सा;

(च) ऋण या दान द्वारा प्राप्त सभी राशियां;

(छ) ग्राम पंचायत के प्रबंध के अधीन मत्स्य उद्योग और अन्य सेक्टरों से व्युत्पन्न आय;

(ज) ग्राम पंचायत की किसी संपत्ति या आगम से आय;

(झ) ग्राम पंचायत के कृत्यकारियों द्वारा संगृहीत संपूर्ण धूल, गंदगी, गोबर या कूड़ा-करकट के विक्रय आगम;

(ञ) प्रशासन के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा ग्राम निधि को समनुदेशित राशियां; और

(ट) ग्राम निधि से अनुरक्षित या वित्तपोषित अथवा ग्राम पंचायत द्वारा व्यवस्थित किसी संस्था या सेवा की सहायता के लिए या उस पर व्यय करने के लिए प्राप्त सभी राशियां।

(3) ग्राम निधि की रकम इस विनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए और उसके प्रयोजनों के लिए उपयोजित की जाएगी और ऐसी अभिरक्षा में रखी जाएगी जो विहित की जाए।

36. अनुदान—प्रशासक, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, साधारण प्रयोजनों के लिए या गांव के सुधार और उसके निवासियों के कल्याण के लिए ग्राम पंचायत को अनुदान दे सकेगा।

37. ग्राम पंचायत के व्ययन, प्रबंध और नियंत्रण के अधीन रखी गई संपत्तियां—(1) प्रशासक, यदि वह ठीक समझे, नीचे विनिर्दिष्ट प्रकृति की और ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर स्थित सभी या किन्हीं संपत्तियों को, ग्राम पंचायत के निदेश, प्रबंध और नियंत्रण के अधीन रख सकेगा, अर्थात् :—

(क) ऐसा खुला स्थान, बंजर, खाली और चरागाह भूमि जो प्राइवेट संपत्ति और नदी तल नहीं है;

(ख) सार्वजनिक सड़कें और मार्ग;

(ग) सार्वजनिक नहरें, जल मार्ग, कुएं, तालाब, टैंक (सरकार के नियंत्रणाधीन सिंचाई के टैंकों को छोड़कर), सार्वजनिक जलाशय (सरकार के नियंत्रणाधीन जल उपचार संयंत्रों को छोड़कर), कुंड, झरने, कृत्रिम जल प्रणाल और सार्वजनिक टैंक या तालाब से अनुसंलग्न कोई सन्निकट भूमि (जो प्राइवेट संपत्ति नहीं है) और उससे संबंधित भूमि;

(घ) सार्वजनिक मल प्रणाल, नाली, जल निकास संकर्म, सुरंग और पुलिया और उनसे संबंधित वस्तुएं और अन्य सफाई संकर्म;

(ङ) गंदा पानी, कूड़ा-करकट और बदबूदार पदार्थ जो सड़क पर जमा हो जाता है या ग्राम पंचायत द्वारा सड़कों, शौचालयों, मूत्रालयों, मल प्रणाल, होदियों और अन्य स्थानों से संगृहीत किया जाता है; और

(च) सड़क की बत्तियां, सार्वजनिक लैंप, बिजली के खंभे और उनसे संबंधित या उनसे सहबद्ध साधित्र;

(छ) सार्वजनिक पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, बूचड़खाने, मत्स्य फार्म, श्मशान घाट, प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र; और

(ज) सड़क किनारे के वृक्ष, ईंधन वाली लकड़ी के पौधे लगाना, गैर परंपरागत ऊर्जा के उपकरण।

(2) सभी बाजार और हाट या उनके ऐसे भाग जो सार्वजनिक भूमि पर लगते हैं, ग्राम पंचायत द्वारा नियंत्रित और विनियमित किए जाएंगे और ग्राम पंचायत, धारा 35 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट ग्राम निधि में जमा, उसकी बाबत उद्गृहीत या अधिरोपित सभी देय प्राप्त करेगी।

38. कर, जो अधिरोपित किए जा सकेंगे—(1) इस विनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, कोई ग्राम पंचायत, उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करवाई गई सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित का उद्ग्रहण कर सकेगी—

(क) भवनों के स्वामियों या अधिभोगियों से कर;

(ख) व्यापार, आह्वान और नियोजन पर कर;

(ग) ग्राम पंचायत की सीमाओं के भीतर रखे गए यंत्रनोदित यानों से भिन्न यानों पर कर;

(घ) ग्राम पंचायत की सीमाओं के भीतर पशुओं के विक्रय पर कर;

(ङ) मनोरंजन और मनोविनोद पर थियेटर या प्रदर्शन कर;

(च) बिजली कर;

(छ) जल निकासी कर;

(ज) उसकी अधिकारिता के भीतर तीर्थयात्रियों के पूजा, हाटों और मेलों के ऐसे स्थानों पर सफाई-व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए फीस;

(झ) बाजारों, मेलों, हाटों और त्यौहारों में माल के विक्रय के लिए फीस;

(ञ) ग्राम पंचायत के नियंत्रणाधीन चरागाह भूमि पर पशुओं के चरने के लिए फीस;

(ट) ग्राम पंचायत में फसलों की चौकसी और निगरानी की व्यवस्था करने के लिए फीस;

(ठ) सार्वजनिक नौका चलाने के लिए अनुज्ञप्ति फीस;

(ड) प्रशासक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य कर।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर और फीसें, ऐसी रीति से और ऐसे समयों पर अधिरोपित, निर्धारित और वसूली जाएंगी, जो विहित की जाए।

39. कर आदि के उद्ग्रहण के विरुद्ध अपील—धारा 38 के अधीन किसी कर या फीस के निर्धारण, उद्ग्रहण या अधिरोपण से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसा कर या फीस अधिरोपित

करने के आदेश की तारीख़ से तीस दिन के भीतर पंचायत सचिव को अपील कर सकेगा और इन मामलों में दूसरी अपील मुख्य कार्यपालक अधिकारी को की जाएगी।

40. कर या फीस के उद्ग्रहण का निलंबन—मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 38 के अधीन किसी कर या फीस के उद्ग्रहण या अधिरोपण को निलंबित कर सकेगा और ऐसे निलंबन को किसी भी समय उसी रीति से विखंडित कर सकेगा।

41. बाजार फीस आदि के संग्रहण का पट्टा—किसी ग्राम पंचायत के लिए विनिर्दिष्ट मंडी और बाजारों पर, किसी फीस के संग्रहण के लिए, यदि ऐसी फीस धारा 38 के अधीन अधिरोपित की जाती है, सार्वजनिक नीलामी या प्राइवेट संविदा द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् पट्टा करना विधिपूर्ण होगा :

परंतु ऐसे पट्टेदार को, पट्टे या संविदा की शर्तों की सम्यक् पूर्ति के लिए प्रतिभूति देनी होगी।

42. करों और अन्य देयों की वसूली—(1) जब किसी ग्राम पंचायत को शोध्य कोई कर या फीस या अन्य राशि संदेय होती है तब ग्राम पंचायत, यथासाध्य न्यूनतम विलंब के साथ उसके संदाय के लिए दायी व्यक्ति को, उस पर शोध्य रकम के संदाय के लिए, विहित प्ररूप में एक मांग सूचना भेजेगी और उससे, ऐसी सूचना की तारीख़ से तीस दिन के भीतर रकम का संदाय करने की अपेक्षा करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक मांग सूचना की ऐसी रीति से तामिल की जाएगी जो विहित की जाए।

(3) यदि ऐसी राशि, जिसके लिए मांग सूचना की तामील की गई है, ऐसी सूचना की तारीख़ से तीस दिन के भीतर संदत्त नहीं की जाती है तो ग्राम पंचायत, भू-राजस्व के बकाया के रूप में उसकी वसूली के लिए प्रशासक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मामलतदार या किसी अन्य अधिकारी को आवेदन कर सकेगी।

43. लेखे—प्रत्येक ग्राम पंचायत, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, लेखे रखेगी।

44. व्यय का वार्षिक प्राक्कलन—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक वर्ष में ऐसे समय पर, और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उस वर्ष के लिए, अपनी प्राक्कलित प्राप्तियों और संदायों का बजट तैयार करेगी, और जिला योजना समिति के माध्यम से जिला पंचायत को बजट प्रस्तुत करेगी।

(2) जिला पंचायत, ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, या तो बजट का अनुमोदन कर सकेगी या उसको ऐसा उपांतरण करने के लिए जैसा उसको निदेश दिया जाए, ग्राम पंचायत को वापस कर सकेगी।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन कोई उपांतरण किए जाते हैं तो बजट, ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, जिला पंचायत को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) जब तक प्रशासक द्वारा बजट का अनुमोदन नहीं किया जाता है तब तक कोई व्यय उपगत नहीं किया जाएगा।

45. संपरीक्षा—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत के लेखाओं की ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रतिवर्ष संपरीक्षा की जाएगी।

(2) संपरीक्षा, विहित प्राधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसको प्रशासक द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए और विहित प्राधिकारी या अन्य अधिकारी, संपरीक्षा के पूरा होने के एक मास के भीतर संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतियां मुख्य कार्यपालक अधिकारी या ग्राम पंचायत को अग्रेषित करेगा।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, ऐसी किसी मद को अननुज्ञात कर सकेगा जो उसको विधि के प्रतिकूल प्रतीत होती है और उसको अवैध संदाय करने वाले या प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति पर अधिभारित कर सकेगा, और—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति, किसी ग्राम पंचायत का सदस्य है तो धारा 50 की उपधारा (2) और उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगा; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति, ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है तो ऐसे व्यक्ति से स्पष्टीकरण अभिप्राप्त करेगा और ऐसे व्यक्ति को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अधिभारित रकम का ग्राम पंचायत को संदाय करने का निदेश देगा और यदि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर रकम संदत्त नहीं की जाती है तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी भू-राजस्व के बकाया के रूप में उसे वसूल करवाएगा और उसको धारा 35 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट ग्राम निधि में जमा किया जाएगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख़ से तीस दिन के भीतर, पंचायत सचिव को अपील कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) ग्राम पंचायत द्वारा किए गए मुख्य संकर्मों की सामाजिक संपरीक्षा ऐसे आयोजित की जाएगी जो पंचायत निदेशक द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाए और ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट जब कभी निष्पादित की जाए, पंचायत निदेशक द्वारा अपने टिप्पणों सहित प्रशासक को प्रस्तुत की जाएगी।

46. प्रशासनिक रिपोर्ट—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, प्रतिवर्ष पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान ग्राम पंचायत के प्रशासन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) रिपोर्ट, पंचायत सचिव द्वारा तैयार की जाएगी और ग्राम पंचायत द्वारा उसको अनुमोदित किए जाने के पश्चात्, उस पर ग्राम पंचायत के संकल्प की प्रति के साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा।

(3) ग्राम पंचायत की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट में, ग्राम पंचायत के बारे में आधारभूत सांख्यिकी आंकड़ों और कृत्यों, वित्त और कृत्यकारियों के न्यागमन से संबंधित आंकड़ों और उनके कर्तव्यों, कृत्यों तथा बाध्यताओं के अनुपालन के साथ परिचयात्मक खंड अंतर्विष्ट किया जाएगा।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत निदेशक के माध्यम से अपनी टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट प्रशासक को अग्रेषित करेगा।

अध्याय 6
ग्राम पंचायत का नियंत्रण

47. कार्यवाहियों, आदि की मांग करने की शक्ति—मुख्य कार्यपालक अधिकारी और पंचायत निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को निम्नलिखित शक्ति होगी—

(क) (i) किसी ग्राम पंचायत की कार्यवाही से या किसी ग्राम पंचायत के कब्जे में या उसके नियंत्रणाधीन किसी बही, अभिलेख, पत्र व्यवहार या दस्तावेजों से कोई उद्धरण मांगने की;

(ii) निरीक्षण या परीक्षा के प्रयोजन के लिए किसी विवरणी, योजना, प्राक्कलन, लेखे या रिपोर्ट मांगने की;

(ख) किसी ग्राम पंचायत से,—

(i) किसी ऐसे आक्षेप पर, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी या पंचायत निदेशक को, किसी ऐसी बात के किए जाने का, जिसको ऐसी ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना है या किया गया है, विद्यमान होना प्रतीत होता है विचार करने हेतु अपेक्षा करने की; या

(ii) किसी ऐसी सूचना पर, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी या पंचायत निदेशक देने के लिए समर्थ है और जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी या पंचायत निदेशक को, ग्राम पंचायत द्वारा कतिपय बातों को करने के लिए आवश्यक प्रतीत होती है और, यथास्थिति, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या पंचायत निदेशक को ऐसी बात करने से प्रविरत रहने के लिए अपने कारणों का कथन करते हुए युक्तियुक्त समय के भीतर लिखित उत्तर देने के लिए, विचार करने हेतु अपेक्षा करने की।

48. ग्राम पंचायत द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम—(1) यदि किसी समय मुख्य कार्यपालक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत ने इस विनियम द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के अनुपालन में जानबूझकर और लगातार व्यतिक्रम किया है तो वह लिखित आदेश द्वारा पंचायत निदेशक को सूचना के अधीन उस कर्तव्य के अनुपालन के लिए अवधि नियत कर सकेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्य का, इस प्रकार नियत अवधि के भीतर अनुपालन नहीं किया जाता है तो कार्यपालक अधिकारी, उसको किए जाने के लिए किसी सरकारी अभिकरण को नियुक्त कर सकेगा और यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे कर्तव्य के अनुपालन के व्यय, व्यक्रमी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसी अवधि के भीतर, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी ठीक समझे संदत्त किए जाएंगे।

49. पंचायत के संकल्प पर आदेश निष्पादन का निलंबन—(1) यदि, पंचायत सचिव की राय में ग्राम पंचायत के किसी आदेश या संकल्प का निष्पादन या कोई ऐसी बात, जो ग्राम पंचायत द्वारा या उसकी ओर से की जानी है या की गई है, का किया जाना मानव जीवन, स्वास्थ्य और लोक सुरक्षा या लोक क्षोभ के लिए खतरा है या जनता को संताप है या उससे खतरा होने की संभावना है, या वह शांति भंग करने वाली है या अवैध है तो वह उसको तुरन्त, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जानकारी में लाएगा जो निष्पादन को निलंबित कर सकेगा या लिखित में उसका किया जाना प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(2) जब उपधारा (1) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी कोई आदेश करता है तो वह तुरंत, आदेश की एक प्रति, उसको करने के कारणों के कथन के साथ, उसके द्वारा प्रभावित होने वाली ग्राम पंचायत को भेजेगा।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, तुरंत, पंचायत सचिव को, उन परिस्थितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिनमें इस धारा के अधीन आदेश किया गया था और पंचायत सचिव ग्राम पंचायत को सूचना देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, आदेश को विखंडित, उपांतरित या पुष्ट कर सकेगा।

(4) धारा 47, धारा 48 और इस धारा के अधीन की गई सभी कार्रवाइयों या किए गए सभी आदेशों की रिपोर्ट यथा शीघ्र प्रशासक को भेजी जाएगी।

50. हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए सदस्यों का दायित्व—(1) ग्राम पंचायत का प्रत्येक सदस्य, ग्राम पंचायत के किसी धन या अन्य संपत्ति की ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा, जिसको ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में उसके अवचार या अपने कर्तव्य की जानबूझकर ऐसी उपेक्षा द्वारा, किया गया है या सुकर बनाया गया है।

(2) यदि संबंधित ग्राम पंचायत के सदस्य को प्रतिकूल कारण दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् पंचायत सचिव का समाधान हो जाता है कि ग्राम पंचायत के किसी धन या अन्य संपत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन, ऐसे सदस्य के अवचार या उसकी ओर से जानबूझकर की गई उपेक्षा का प्रत्यक्ष परिणाम है तो वह लिखित में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को रिपोर्ट करेगा जो ऐसे सदस्य को किसी नियत तारीख के पूर्व, ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए ग्राम पंचायत को उसकी प्रतिपूर्ति किए जाने के लिए अपेक्षित रकम का संदाय करने का निदेश देगा :

परंतु ऐसा कोई आदेश ग्राम पंचायत के किसी सदस्य की सद्भावपूर्ण या तकनीकी अनियमितता या भूल के लिए नहीं किया जाएगा।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट रकम का इस प्रकार संदाय नहीं किया जाता है तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी उसको भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करेगा और उसको धारा 35 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट ग्राम निधि में जमा करेगा।

(4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कोई आदेश पंचायत सचिव को, अपील किए जाने के अधीन होगा, यदि वह आदेश की तारीख के तीस दिन के भीतर की जाती है।

51. ग्राम पंचायत का विघटन—(1) यदि प्रशासक की राय में, ग्राम पंचायत,—

(क) अपनी शक्तियों से आगे बढ़ती है या उनका दुरुपयोग करती है; या

(ख) इस विनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में अक्षम है या उनके अनुपालन में जानबूझकर और लगातार व्यतिक्रम करती है; या

(ग) इस विनियम के अधीन उद्ग्रहणीय करों के उद्ग्रहण में असफल रहती है; या

(घ) धारा 49 की उपधारा (2) के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के आदेश की लगातार अवज्ञा करती है,

तो वह राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ग्राम पंचायत का विघटन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश, ग्राम पंचायत को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी ग्राम पंचायत का विघटन कर दिया जाता है तो उसके निम्नलिखित परिणाम अनुघटित होंगे, अर्थात् :—

(क) ग्राम पंचायत के सभी सदस्य, आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से, उसके सदस्य नहीं रहेंगे;

(ख) ग्राम पंचायत की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और अनुपालन ग्राम पंचायत के विघटन की अवधि के दौरान, प्रशासक द्वारा, इस निमित्त नियुक्त किए गए व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा।

(4) ग्राम पंचायत को गठित करने के लिए निर्वाचन, उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरा कर लिया जाएगा।

52. ग्राम पंचायतों के बीच विवाद—(1) यदि दो या अधिक ग्राम पंचायतों के बीच कोई विवाद उद्भूत होता है तो उसको धारा 73 के अधीन नियुक्त पंचायत की संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) यदि संयुक्त समिति समस्या का समाधान करने में असमर्थ रहती है तो उसे पंचायत सचिव को निर्दिष्ट किया जाएगा और पंचायत सचिव का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

53. प्रशासक या पंचायत सचिव या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा कार्यवाहियों का मांगा जाना—प्रशासक या पंचायत सचिव, किसी पारित आदेश की विधिमान्यता या उपयुक्तता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए ग्राम पंचायत की कार्यवाहियों का अभिलेख मांग सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा तथा आदेश को ऐसे पुनरीक्षीत या उपांतरित कर सकेगा जो वह ठीक समझे :

परंतु किसी आदेश के, पुनरीक्षण या उपांतरण के लिए, प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध संबंधित ग्राम पंचायत को कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना इस प्रकार कोई आदेश पुनरीक्षित या उपांतरित नहीं किया जाएगा।

अध्याय 7

जिला पंचायत

54. जिला पंचायत—प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संघ राज्यक्षेत्र में जिले के लिए, जिला स्तर पर, जिला पंचायत नामक एक पंचायत का गठन करेगा।

55. जिला पंचायत की संरचना—(1) जिला पंचायत, वार्डों की ऐसी संख्या से भरे जाने वाले ऐसे स्थानों की संख्या से मिलकर बनेगी जो प्रशासक, आदेश द्वारा अवधारित करे।

(2) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक वार्ड की प्रादेशिक सीमा निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रशासक द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

(3) जिला पंचायत के स्थान, वार्डों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा, ऐसी रीति में भरे जाएंगे जो प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या और उसे आबंटित स्थानों की संख्या के बीच का अनुपात ऐसा होगा, जो, यथासाध्य, संपूर्ण जिला पंचायत क्षेत्र में समान होगा।

(4) निम्नलिखित व्यक्ति भी जिला पंचायत का प्रतिनिधित्व करेंगे, अर्थात् :—

(क) ग्राम पंचायतों के सभी सरपंच;

(ख) संघ राज्यक्षेत्र के निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला लोक सभा का सदस्य,

जिसे जिला पंचायत के अधिवेशनों में (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए आयोजित अधिवेशन से भिन्न) मत देने का भी अधिकार होगा।

(5) धारा 12 की उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) के उपबंध, जिला पंचायत को उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे ऐसे उपांतरण के अधीन रहते हुए "ग्राम पंचायत" को लागू होते हैं कि "ग्राम पंचायत" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे इन उपबंधों में आते हैं, "जिला पंचायत" शब्द रखे जाएंगे।

56. जिला पंचायत का निगमन—जिला पंचायत, धारा 54 के अधीन राजपत्र में अधिसूचित नाम से शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला निगमित निकाय होगा और जिसे इस विनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जंगम और स्थावर दोनों ही प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण, प्रशासन और अंतरण करने की और कोई संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लाएगी या उस पर वाद लाया जाएगा।

57. मतदान करने और निर्वाचित होने के लिए अर्हित व्यक्ति—(1) जिला पंचायत गठित करने वाली ग्राम सभाओं का प्रत्येक सदस्य, जब तक उसे इस विनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन निरर्हित नहीं किया जाता है, निम्नलिखित के लिए अर्हित होगा,—

(i) जिला पंचायत के निर्वाचन में मतदान के लिए;

(ii) जिला पंचायत में निर्वाचन के लिए।

58. निरर्हताएं—कोई व्यक्ति जिला पंचायत में निर्वाचित होने के लिए या उस रूप में बने रहने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि,—

(क) उस पर एक वर्ष से अधिक राशि का ग्राम पंचायत को देय किसी कर, फीस या अन्य राशि का बकाया है :

परंतु यह निरर्हता केवल तभी प्रवर्तन में रहेगी यदि ऐसे बकायों को निर्वाचन या ऐसी निरर्हता की अधिसूचना की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व ग्राम पंचायत के सार्वजनिक सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया गया है।

(ख) वह किसी ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के अधीन कोई वैतनिक पद या लाभ का पद धारण करता है; या

(ग) उसका ग्राम पंचायत या जिला पंचायत द्वारा किए गए किसी कार्य में या जिला पंचायत या ग्राम पंचायत के साथ या उसके अधीन या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी संविदा या नियोजन में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हिस्सा या आर्थिक हित है; या

(घ) सरकार या किसी नगरपालिका या जिला पंचायत या ग्राम पंचायत का सेवक है; या

(ङ) उसे सरकार या नगरपालिका या पंचायत की सेवा से अवचार के लिए पदच्युत किया गया है; या

(च) उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 109 या धारा 110 के अधीन सद्व्यवहार की प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है; या

(छ) उसे किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें हिंसा या नैतिक अधमता अंतर्वलित है और उसे कम से कम तीन मास के कारावास का दंडादेश दिया गया है और उसकी निर्मुक्ति से पांच वर्ष की अवधि व्यपगत नहीं हई है; या

(ज) उसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है; या

(झ) वह विकृतचित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा घोषित किया गया है; या

(ञ) उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है; या

(ट) उसे भ्रष्ट आचरण अंगीकृत करने के लिए या ऐसी निरर्हता की अवधि के दौरान किसी निर्वाचन संबंधी अपराध करने के लिए तत्समय प्रवृत्त निर्वाचनों से संबंधित किसी विधि के अधीन निरर्हित किया गया है; या

(ठ) खंड (ज) के अधीन रहते हुए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन लोक सभा के निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उसे इस प्रकार निरर्हित किया गया है; या

(ड) वह भारत का नागरिक नहीं है।

(2) कोई व्यक्ति जिला पंचायत का सदस्य होने के लिए निरर्हित हो जाएगा यदि उसे पांचवीं अनुसूची के अधीन निरर्हित किया गया है :

परंतु लोक सभा में संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति उस सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित हो जाएगा यदि उसे संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित किया गया है।

59. निरर्हता के प्रश्न पर विनिश्चय—यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि कोई व्यक्ति, धारा 4, धारा 7, धारा 14, धारा 15, धारा 57 और धारा 58 में निर्दिष्ट किसी निरर्हता के अधीन है या नहीं, तो उसका विनिश्चय करने के लिए संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा :

परंतु ऐसे प्रश्न पर कोई विनिश्चय करने के पूर्व, प्रशासक, निर्वाचन आयोग की राय अभिप्राप्त करेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

60. पद की शपथ—(1) इस विनियम के अधीन जिला पंचायत का पहली बार गठन किए जाने पर या उसके पुनर्गठन पर, प्रशासक द्वारा, पंचायत सचिव के समक्ष पहली अनुसूची में दिए गए प्ररूप में सभी सदस्यों द्वारा पद की शपथ लिए जाने के लिए नियत तारीख को अधिवेशन बुलाया जाएगा।

(2) प्रशासक द्वारा नियुक्त अधिकारी ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(3) जिला पंचायत का कोई सदस्य जिसने ऐसी शपथ नहीं ली है, किसी अधिवेशन की कार्यवाहियों में न तो मतदान करेगा या न तो भाग लेगा और न ही उसे जिला पंचायत द्वारा गठित किसी समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

61. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन—(1) इस विनियम के अधीन पहली बार जिला पंचायत का गठन होने पर या जिला पंचायत की अवधि की समाप्ति पर या उसके पुनर्गठन पर, पंचायत सचिव द्वारा निश्चित तारीख पर अधिवेशन बुलाया जाएगा, जिसमें जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे।

(2) पंचायत सचिव द्वारा नियुक्त अधिकारी ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(3) ऐसे अधिवेशन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन से भिन्न कोई कामकाज नहीं किया जाएगा।

(4) मतों के बराबर होने की दशा में, निर्वाचन का परिणाम, नियुक्त अधिकारी की उपस्थिति में, ऐसी रीति में, जो वह अवधारित करे, लाटरी द्वारा ड्रा निकालकर विनिश्चित किया जाएगा।

(5) अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के ऐसे रोस्टर के अनुसार आरक्षित किया जाएगा जो ऐसे प्ररूप और रीति से जो विहित की जाए, अनुरक्षित किया जाएगा।

परन्तु प्रत्येक दूसरी अवधि में अध्यक्ष का पद स्त्रियों के लिए आरक्षित होगा।

62. अध्यक्ष का कार्यपालक होना—इस विनियम के अधीन जिला पंचायत की कार्यपालिका शक्तियों और इस विनियम के अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों की पूर्ति का उत्तरदायित्व और जिला पंचायत के संकल्पों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व अध्यक्ष में निहित होगा।

63. उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य—उपाध्यक्ष—

(क) अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन तब करेगा जब वह छुट्टी पर अनुपस्थित हो या कार्य करने में असमर्थ हो या जब अध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा हो; और

(ख) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या जब अध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा हो तो जिला पंचायत के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

64. जिला पंचायत का कार्यकाल—(1) जिला पंचायत, जब तक उसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले विघटित नहीं कर दिया जाता, तब तक उसके पहले अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष के लिए चालू रहेगी और इससे अधिक नहीं।

(2) जिला पंचायत को गठित करने के लिए निर्वाचन—

(क) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा;

(ख) उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा :

परंतु जहां ऐसी शेष अवधि, जिसके लिए विघटित जिला पंचायत जारी रखी जाएगी, छह मास से कम है वहां जिला पंचायत के गठन के लिए इस उपधारा के अधीन कोई निर्वाचन करना आवश्यक नहीं होगा।

(3) किसी जिला पंचायत का, उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व विघटन होने पर गठित जिला पंचायत, केवल ऐसी शेष अवधि के लिए ही जारी रहेगी जिसके लिए विघटित जिला पंचायत यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती तो उपधारा (1) के अधीन जारी रहती।

65. पद से त्यागपत्र—(1) जिला पंचायत का कोई सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सूचना के अधीन अध्यक्ष को उस प्रभाव की लिखित में सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और ऐसा त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा उसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा।

(2) उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सूचना के अधीन अध्यक्ष को लिखित में सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा, और ऐसा त्यागपत्र, अध्यक्ष द्वारा उसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा।

(3) अध्यक्ष, प्रशासक को सूचना के अधीन, पंचायत सचिव को लिखित में सूचना देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा, और ऐसा त्यागपत्र, पंचायत सचिव द्वारा उसके स्वीकार किए जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

66. आकस्मिक रिक्ति—जिला पंचायत में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा सदस्य के पद पर कोई आकस्मिक रिक्ति इस विनियम के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन द्वारा जिला पंचायत की शेष अवधि के लिए भरी जाएगी :

परंतु जहां अध्यक्ष का स्थान या पद किसी स्त्री या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है वहां किसी स्त्री या अनुसूचित जनजातियों के किसी सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति शेष अवधि के लिए ऐसी रिक्ति को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा।

67. अविश्वास प्रस्ताव—(1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जिला पंचायत के कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा उसकी सूचना देने के पश्चात्, किंतु अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण करने के छह मास से पूर्व नहीं लाया जा सकेगा।

(2) यदि प्रस्ताव, जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत द्वारा लाया जाता है तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जब तक वह पहले त्यागपत्र नहीं देता है, उस तारीख से जिसको प्रस्ताव लाया जाता है, पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा।

(3) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करेगा, जिसमें उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जानी है किंतु उसको ऐसे अधिवेशन की कार्यवाहियों में बोलने या अन्यथा उनमें भाग लेने का अधिकार होगा।

68. जिला पंचायत के कर्मचारिवृंद—(1) प्रशासक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो अपर जिला मजिस्ट्रेट की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा।

(2) प्रशासक, जिला पंचायत के लिए एक लेखा अधिकारी भी नियुक्त करेगा।

(3) प्रशासक, समय-समय पर जिला पंचायत में समूह 'क' और समूह 'ख' के अधिकारियों को, ऐसी संख्या में तैनात करेगा जिनमें विद्यमान स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियोजित कोई अधिकारी और दादरा और नागर हवेली के अधीन सेवा करने के लिए आबंटित अन्य अधिकारी भी सम्मिलित हैं, जिनको प्रशासक आवश्यक समझे।

(4) इस विनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जिला पंचायत या इस निमित्त जिला पंचायत द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकारी के पास अधिकारियों और जिला पंचायत में तैनात उपधारा (3) में उल्लिखित से भिन्न पदधारियों का स्थानांतरण करने की शक्ति होगी।

(5) जिला पंचायत ऐसे अन्य पदों को सृजित कर सकेगा और भर सकेगा जो प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से समय-समय पर आवश्यक हों :

परंतु ऐसा कोई पद सृजित नहीं किया जाएगा जिसके लिए बजट का उपबंध नहीं किया गया है और जिसे उपधारा (6) के अधीन यथा उपबंधित प्रशासक द्वारा स्टाफ के पैटर्न में उपबंध नहीं किया गया है।

(6) प्रशासक, इस विनियम में उल्लिखित कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए स्टाफ के पैटर्न का अनुमोदन करेगा और ऐसे कर्मचारिवृंद के निबंधन और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जिन्हें विहित किया जा सके।

69. जिला पंचायत के कर्मचारिवृंद की सेवा शर्तें—जिला पंचायत में तैनात कर्मचारिवृंद, उनकी सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित होंगे जो जिला पंचायत में उनकी तैनाती के पूर्व उनको लागू हो सकें।

70. मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारियों के कृत्य—(1) इस विनियम द्वारा या इसके अधीन अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत के आदेशों या निर्देशों के अधीन रहते हुए—

(क) जिला पंचायत की नीतियों और निर्देशों को क्रियान्वित करेगा और जिला पंचायत के सभी कार्य तथा विकासात्मक स्कीमों के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक उपाय करेगा;

(ख) इस विनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा;

(ग) अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण तथा ऐसे नियमों जिन्हें विहित किया जाए, के अधीन रहते हुए जिला पंचायत के अधिकारियों और सेवकों का नियंत्रण करेगा;

(घ) जिला पंचायत से संबंधित सभी कागज-पत्रों और दस्तावेजों को अभिरक्षा में रखेगा;

(ङ) धारा 80 में निर्दिष्ट जिला पंचायत निधि में से राशियां निकालेगा और कार्यों का निर्वहन करेगा तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जिन्हें विहित किया जाए।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला पंचायत की प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहेगा और वह चर्चा में भाग ले सकेगा किन्तु उसके पास किसी संकल्प का प्रस्ताव करने या मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(3) यदि मुख्य कार्यपालक अधिकारी की राय में, जिला पंचायत के समक्ष कोई प्रस्ताव अतिक्रमणकारी है या इस विनियम या किसी अन्य विधि, उसके अधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के उपबंधों से असंगत है तो उसका यह कर्तव्य होगा कि वह उसे जिला पंचायत की जानकारी में लाए।

(4) मुख्य लेखा अधिकारी, जिला पंचायत को वित्तीय नीति के विषयों में सलाह देगा और वह जिला पंचायत के लेखाओं से संबंधित सभी विषयों, जिनमें वार्षिक लेखा और बजट की तैयारी सम्मिलित है, के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) मुख्य लेखा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उचित मंजूरी के अधीन और इस विनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के अनुसार के सिवाय कोई व्यय उपगत नहीं किया गया है और ऐसे किसी व्यय को अनुज्ञात करेगा जो इस विनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों द्वारा अपेक्षित नहीं है या जिसके लिए बजट में कोई उपबंध नहीं किया गया है।

(6) अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उसके कर्तव्यों के पालन में सहायता देंगे।

(7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, योजना विनिर्मिति के विषयों में जिला पंचायत को सलाह देगा और वह योजना विनिर्मिति के सभी विषयों के लिए उत्तरदायी होगा और वह योजनाओं की तैयारी, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय तथा जिले की वार्षिक योजनाओं सहित जिला पंचायत की योजना से संबंधित सभी विषयों के लिए उत्तरदायी होगा।

71. अभिलेखों की अध्यपेक्षा का अधिकार—ग्राम पंचायत या जिला पंचायत से संबंधित धन, लेखों, अभिलेखों या अन्य संपत्ति का कब्जा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस प्रयोजन के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी की लिखित में अध्यपेक्षा पर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उसे प्राप्त किए जाने की अध्यपेक्षा में प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसा धन सौंपेगा या ऐसे लेखों, अभिलेखों या अन्य संपत्ति का परिदान करेगा।

72. जिला पंचायत के अधिवेशन—(1) जिला पंचायत के अधिवेशनों का समय और स्थान तथा ऐसे अधिवेशन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए।

(2) जिला पंचायत का कोई सदस्य, किसी भी अधिवेशन में संकल्प का प्रस्ताव कर सकेगा और विहित रीति में जिला पंचायत के प्रशासन से संबद्ध मामलों पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के समक्ष प्रश्न रख सकेगा।

(3) जिला पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के दो तिहाई द्वारा समर्थित संकल्प के सिवाय, जिला पंचायत का कोई संकल्प उसके पारित होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर जिला पंचायत द्वारा उपांतरित, संशोधित, फेरफार या निलंबित नहीं किया जाएगा।

73. स्थायी समिति या संयुक्त समिति, आदि—(1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, जिला पंचायत अपने सदस्यों में से ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों के निर्वहन के लिए जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, निम्नलिखित स्थायी समितियों को नियुक्त कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) साधारण स्थायी समिति;

(ख) वित्त, लेखा और योजना समिति;

(ग) संकर्म समिति;

(घ) शिक्षा समिति;

(ङ) निगरानी और पर्यवेक्षण संबंधी अंतरस्तरीय स्थायी समिति;

(च) सामाजिक लेखा समिति;

(छ) संयुक्त समिति।

(2) खण्ड (क) से (छ) में निर्दिष्ट समितियों की संरचना और अवधि ऐसी होगी जो विहित की जाए।

(3) अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए किसी फीस या भत्तों का संदाय नहीं किया जाएगा।

74. कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना—जिला पंचायत या उसकी स्थायी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, उसमें रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी।

75. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से परामर्श—प्रशासक, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय से संबंधित समय-समय पर जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से परामर्श करेगा और ऐसे विषय पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विचार प्रकृति में अनुशंसात्मक होंगे।

76. जिला पंचायत के कर्तव्य और कृत्य—जिला पंचायत के पास ऐसी शक्तियां और प्राधिकार होंगे जो प्रशासक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे जिससे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और तीसरी अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए स्कीमों के क्रियान्वयन के संबंध में स्वायत्त शासन की किसी संस्था के रूप में कृत्य करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

77. कतिपय संपत्तियों पर जिला पंचायत का नियंत्रण—(1) जिला पंचायत, सड़कों, गलियों, पुलों, पुलियाओं और धारा 82 की उपधारा (1) के अधीन प्रशासक द्वारा रखी अन्य संपत्तियों की बाबत अपने निदेश, प्रबंध और नियंत्रण के अधीन उनके अनुरक्षण और मरम्मत के लिए सभी आवश्यक बातें करेगा और विशिष्टतया—

(क) किसी ऐसी सड़क, पुल या पुलिया को चौड़ा, खुला, बड़े आकार का कर सकेगा या अन्यथा सुधार करेगा और ऐसी सड़कों के दोनों ओर पथों को और वृक्षों को बनाए रख सकेगा;

(ख) धारा 82 की उपधारा (1) के खंड (ग) में उल्लिखित किसी जल मार्ग को चौड़ा या अन्यथा अन्य संपत्ति का सुधार कर सकेगा;

(ग) किसी ऐसी सार्वजनिक सड़क या गली में प्रक्षेपित किसी वृक्ष के बाड़े या शाखा को काट सकेगा;

(घ) नई सड़कों को बिछा और बना सकेगा;

(ङ) नए पुलों और पुलियों का सन्निर्माण कर सकेगा।

78. जिला पंचायत को किसी कार्य या संस्था का अंतरण—प्रशासक, जिला पंचायत को किसी कार्य के निष्पादन, अनुरक्षण या मरम्मत के लिए या प्रशासक या किसी स्थानीय प्राधिकारी के निमित्त किसी संस्था का प्रबंध न्यस्त कर सकेगा :

परंतु कार्य के निष्पादन, अनुरक्षण या मरम्मत के लिए या ऐसे संस्थान के प्रबंधन के लिए आवश्यक निधियां प्रशासक या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जिला पंचायत के व्ययन के लिए दी जाएगी।

79. संविदा किए जाने का ढंग—जिला पंचायत की ओर से की गई प्रत्येक संविदा या करार लिखित में होगा और अध्यक्ष तथा जिला पंचायत के दो अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा और जिला पंचायत की सामान्य मुद्रा द्वारा मुहरबंद किया जाएगा।

80. जिला पंचायत निधि का गठन—"जिला पंचायत निधि, (जिले का नाम.....)" के नाम से ज्ञात निधि, जिला पंचायत द्वारा या उसकी ओर से निम्नलिखित धन का प्रत्यय करने के लिए और उसमें से धन को निकालने के लिए भी गठित की जाएगी, अर्थात् :—

(i) धारा 83 द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किसी कर या फीस का आगम;

(ii) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्तियों द्वारा किया गया अभिदाय;

(iii) जिला पंचायत निधि में जमा होने के लिए किसी प्राधिकारी या न्यायालय द्वारा आदेशित सभी राशियां;

(iv) प्रतिभूतियों से आय जिसमें जिला पंचायत निधि का विनिधान किया गया है;

(v) उधारों या दानों के रूप में प्राप्त सभी राशियां;

(vi) जिला पंचायत प्रबंधन के अधीन मत्स्य-पालन से व्युत्पन्न आय;

(vii) जिला पंचायत की किसी संपत्ति के आगमों से आय;

(viii) सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा जिला पंचायत निधि को राशि समनुदेशित करना;

(ix) जिला पंचायत निधि से अनुरक्षित या वित्त-पोषित या जिला पंचायत द्वारा प्रबंधित किसी संस्था या सेवा की सहायता या उसमें व्यय के लिए प्राप्त सभी राशियां;

(x) भारत की संचित निधि से अनुदान सहायता।

81. अनुदान—प्रशासक, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह ठीक समझे, साधारण प्रयोजनों के लिए या जिले के सुधार और उसके निवासियों के कल्याण के लिए अनुदान कर सकेगा।

82. जिला पंचायत में निहित संपत्ति—(1) प्रशासक, यदि वह ठीक समझे, तो नीचे विनिर्दिष्ट प्रकृति की और जिला पंचायत की अधिकारिता के भीतर अवस्थित सभी या किन्हीं संपत्तियों को जिला पंचायत के निदेश, प्रबंध और नियंत्रण के अधीन रख सकेगा, अर्थात् :—

(क) खुले स्थलों, अपशिष्ट, खाली और चरागाह भूमि, जो प्राइवेट संपत्ति नहीं है और नदी तल;

(ख) सार्वजनिक सड़कें और गलियां;

(ग) सार्वजनिक चैनल, जल मार्ग, कुएं, तालाब, कुंड (सरकार के नियंत्रणाधीन सिंचाई के कुंडों को छोड़कर) सार्वजनिक झरने, जलाशय, हौज, जलवाही सेतु, और किन्हीं सार्वजनिक कुंड़ों या तालाबों से संबंधित कोई निकटवर्ती भूमि (जो निजी संपत्ति नहीं है) और उसके निकट की भूमि;

(घ) सार्वजनिक मल प्रणाली, नालियां, जल निकास संकर्म सुरंग और पुलिया और उससे संबंधित बातें तथा अन्य संरक्षण कार्य;

(ङ) मल व्यवस्था, कूड़ा करकट और गलियों, शौचालयों, मूत्रालयों, मल प्रणाल, हौदी और अन्य स्थानों से पंचायत द्वारा सड़क पर जमा या इकट्ठा अप्रिय पदार्थ;

(च) पथ प्रकाश, सार्वजनिक लैंप, लैंप पोस्ट, और उससे संयोजित या उससे संबंधित साधित्र;

(छ) सार्वजनिक पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, बूचड़खाने, मछली फार्म, शमशान, प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्र;

(ज) सड़क की ओर वृक्ष, ईंधन काष्ठ, बागान, गैर पारंपरिक ऊर्जा उपस्कर।

(2) सभी बाजार और मेले या उसके ऐसे भाग जो सार्वजनिक भूमि में लगते हैं उनको जिला पंचायत द्वारा प्रबंधित और विनियमित किया जाएगा और उनके संबंध में सभी उद्गृहीत या अधिरोपित देयों को जिला पंचायत निधि में जमा किया जाएगा।

83. कर जिनको अधिरोपित किया जा सकेगा—जिला पंचायत, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अध्यधीन इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में समुचित करों, शुल्कों, पथकरों, उपकरों और फीसों का उद्ग्रहण, संग्रहण, निर्धारण करेगी और ऐसी दरों पर ऐसे करों को उद्गृहीत करेगा जो प्रशासक द्वारा विहित किए जाएं।

84. कर आदि के उद्ग्रहण के विरुद्ध अपील—(1) धारा 83 के अधीन किसी कर या फीस के निर्धारण, उद्ग्रहण या अधिरोपण से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे कर या फीस के अधिरोपण के आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर सचिव, पंचायत को अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश से दूसरी अपील प्रशासक को होगी।

(3) पहली अपील और दूसरी अपील ऐसे प्ररूप में फाइल की जाएगी और ऐसी फीस के साथ होगी जो विहित की जाए।

85. कर या फीस के उद्ग्रहण का निलंबन—प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 83 के अधीन किसी कर या फीस के उद्ग्रहण या अधिरोपण का निलंबन कर सकेगा और उसी रीति में किसी समय ऐसे निलंबन को विखंडित कर सकेगा।

86. फीस आदि के संग्रहण का पट्टा—जिला पंचायत के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि पारदर्शी प्रक्रिया के अनुसरण के पश्चात् वह विनिर्दिष्ट मंडी और बाजारों पर किसी फीस के संग्रहण को नीलामी या संविदा द्वारा पट्टा दे, यदि धारा 83 के अधीन ऐसी फीस अधिरोपित की गई है :

परंतु पट्टाधारी, पट्टा या संविदा की शर्तों की सम्यक् पूर्ति के लिए प्रतिभूति देगा।

87. करों और अन्य देयों की वसूली—(1) जब जिला पंचायत को देय कोई कर या फीस या अन्य राशि मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संदेय हो गई है तो वह कम से कम व्यवहार्य विलंब से उसके संदेय के लिए दायी व्यक्ति को उससे देय रकम के लिए विहित प्ररूप में मांग सूचना भिजवाएगा और उससे अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर रकम का संदाय कर दे।

(2) उपधारा (1) के अधीन मांग की प्रत्येक नोटिस की तामील ऐसी रीति में होगी जो विहित की जाए।

(3) यदि वह राशि, जिसके लिए मांग सूचना तामील की गई है, ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर संदत्त नहीं की जाती है तो जिला पंचायत भूमि राजस्व के बकाया के रूप में उसकी वसूली के लिए संबद्ध मामलतदार के रूप में नामित राजस्व अधिकारी को आवेदन कर सकेगी।

88. लेखा—जिला पंचायत लेखों का अनुरक्षण ऐसे प्ररूप में करेगी जिसे विहित किया जाए।

89. बजट—(1) जिला पंचायत, ऐसे समय और ऐसी रीति में, जिसे विहित किया जाए, आगामी वर्ष के लिए इसकी प्राक्कलित प्राप्तियों और संदायों का बजट प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तैयार करेगी और उसको सचिव पंचायत को प्रस्तुत करेगी जो उसको संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के वित्त विभाग के माध्यम से प्रशासक के समक्ष रखेगा।

(2) सचिव पंचायत, ऐसी अवधि के भीतर जिसे विहित किया जाए या तो बजट का अनुमोदन कर सकेगा या ऐसे उपांतरणों के लिए जैसे वह निदेश करे, जिला योजना समिति के माध्यम से जिला पंचायत को वापस कर सकेगा।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन कोई उपांतरण किए जाते हैं तो बजट को ऐसी अवधि के भीतर जो सचिव पंचायत द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) जिला पंचायत द्वारा कोई व्यय तब तक उपगत नहीं किया जाएगा जब तक प्रशासक द्वारा बजट का अनुमोदन न कर दिया जाए।

(5) जिला पंचायत, वर्ष के दौरान किसी भी समय जिसके लिए वार्षिक बजट प्राक्कलन का अनुमोदन किया गया है, एक पुनरीक्षित या पूरक बजट तैयार कर सकेगी जिसे उपधारा (2) के अधीन मूल बजट के रूप में उसी रीति में प्रशासक द्वारा विचार किया जाएगा और अनुमोदित किया जाएगा।

90. लेखापरीक्षा—(1) जिला पंचायत के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसी रीति में की जाएगी जिसे विहित किया जाए।

(2) लेखापरीक्षा ऐसे अधिकारी द्वारा क्रियान्वित की जाएगी जिसे प्रशासक इस निमित्त नियुक्त करे और वह अधिकारी लेखापरीक्षा के पूरा होने के एक मास के भीतर लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रतियां सचिव पंचायत को भेजेगा।

(3) सचिव पंचायत, रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी और जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, कोई मद जो उसे विधि के विरुद्ध प्रतीत हो, प्रशासक को संसूचना के अधीन अननुज्ञात कर सकेगा और अवैध संदाय कर रहे या प्राधिकृत कर रहे किसी व्यक्ति को अधिभारित कर सकेगा और निम्नलिखित करेगा—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति जिला पंचायत का कोई सदस्य है तो धारा 96 में विनिर्दिष्ट रीति में उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगा।

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति जिला पंचायत का सदस्य नहीं है तो वह व्यक्ति का स्पष्टीकरण अभिप्राप्त करेगा और ऐसे व्यक्ति को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जिला पंचायत को अधिभारित रकम के संदाय के लिए निदेश देगा और यदि रकम, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदाय नहीं की जाती है तो सचिव पंचायत उसको भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कराएगा और उसको जिला पंचायत निधि में जमा करेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन सचिव पंचायत के किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रशासक को अपील कर सकेगा जिसका ऐसी अपील पर विनिश्चय अंतिम होगा।

91. प्रशासनिक रिपोर्ट—जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वार्षिक रूप से पूर्ववर्ष के लिए जिला पंचायत के प्रशासन पर एक रिपोर्ट ऐसी रीति में तैयार करेगा जो विहित की जाए और जिला पंचायत द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात् उसको सचिव पंचायत के माध्यम से प्रशासक को प्रस्तुत करेगा।

92. सामाजिक लेखापरीक्षा—(1) पंचायत द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे मुख्य कार्य की सामाजिक लेखापरीक्षा, धारा 73 के अधीन नियुक्त की गई सामाजिक लेखा समिति द्वारा ऐसी रीति से, ऐसे अंतरालों पर और ऐसे अधिकारियों की सहायता से संचालित की जा सकेगी जो विहित किए जाएं।

(2) सामाजिक लेखा समिति, उपधारा (1) के अधीन की गई सामाजिक लेखापरीक्षा की अपनी रिपोर्ट ऐसे अधिकारी को प्रस्तुत करेगी जिसे विहित किया जाए।

93. कार्यवाहियों आदि को मंगाने की शक्ति—प्रशासक या सचिव पंचायत या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को शक्ति होगी—

(क) निम्नलिखित को मंगाने के लिए—

(i) जिला पंचायत की कार्यवाहियों या जिला पंचायत के कब्जे में या उसके नियंत्रणाधीन किन्हीं बहियों और अभिलेखों, पत्र व्यवहार या दस्तावेजों से कोई उद्धरण;

(ii) निरीक्षण या परीक्षा के प्रयोजन के लिए कोई विवरणी, योजना, प्राक्कलन, कथन, लेखा या रिपोर्ट;

(ख) निम्नलिखित पर विचार किए जाने के लिए जिला पंचायत से अपेक्षा करना—

(i) कोई आक्षेप जो प्रशासक या सचिव पंचायत को कोई बात करने के लिए जिसे जिला पंचायत के बारे में किया जाना या किए जाने के लिए होना प्रतीत हो;

(ii) कोई सूचना जिसके लिए प्रशासक या सचिव पंचायत प्रस्तुत करने के लिए और जिला पंचायत द्वारा कतिपय बातों को आवश्यक रूप से

करने के लिए समर्थ है और लिखित में उसे उत्तर देते हुए यह अपेक्षा करना कि युक्तियुक्त समय में यह कथन करते हुए कि ऐसा करने से प्रतिविरत रहने के क्या कारण थे।

94. जिला पंचायत के कर्तव्य के पालन में व्यतिक्रम—(1) यदि किसी समय, सचिव पंचायत को यह प्रतीत होता है कि जिला पंचायत ने जानबूझकर और इस विनियम द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्य के पालन में लगातार व्यतिक्रम किया है तो वह लिखित में आदेश द्वारा उस कर्तव्य के पालन के लिए अवधि नियत कर सकेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन कर्तव्य का पालन इस प्रकार नियत अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो सचिव पंचायत, प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से किसी व्यक्ति को उसका पालन करने के लिए नियुक्त कर सकेगा और निदेश दे सकेगा कि कर्तव्य के पालन में व्यय को व्यतिक्रमी जिला पंचायत द्वारा ऐसी अवधि के भीतर संदत्त किया जाएगा जो सचिव पंचायत ठीक समझे।

95. जिला पंचायत के संकल्प पर आदेश के निष्पादन का निलंबन—(1) यदि, सचिव पंचायत की राय में, जिला पंचायत के किसी आदेश या संकल्प का निष्पादन या जिला पंचायत द्वारा या उस निमित्त किसी बात के बारे में या किए जाने से जनता को क्षति या परेशानी होने की संभावना है या सार्वजनिक खजाने की गंभीर हानि है या लोकहित के विरुद्ध आविर्भाव है या शांति भंग का कारण है या विधिविरुद्ध है तो वह लिखित में आदेश द्वारा ऐसे निष्पादन का निलंबन या उसको किए जाने का प्रतिषेध कर सकेगा :

परंतु ऐसा कोई आदेश, प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध संबद्ध जिला पंचायत को हेतुक दर्शित करने के युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(2) जब सचिव पंचायत उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करता है तो वह तुरन्त, उसके द्वारा प्रभावी पंचायत को उसके किए जाने के कारणों के कथन के साथ आदेश की एक प्रति भेजेगा।

(3) जिला पंचायत को ऐसी सूचना देने के पश्चात्, सचिव पंचायत, जैसा वह ठीक समझे, उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश को विखंडित, परिवर्तित या पुष्ट कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, इस आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रशासक को अपील कर सकेगा जो सचिव पंचायत के आदेश को अनुमोदित या अननुमोदित करेगा या उसको ऐसी रीति में उपांतरित करेगा जो वह ठीक समझे।

96. हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए सदस्यों का दायित्व—(1) जिला पंचायत का प्रत्येक सदस्य वैयक्तिक रूप से जिला पंचायत के किसी धन या संपत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए दायी होगा जिसके लिए वह पक्षकार रहा है या जिसे अवचार या किसी सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य की जानबूझकर ऐसी उपेक्षा द्वारा जो कपट की कोटि में आता है, किया गया है या सुकर बनाया गया है।

(2) यदि तत्प्रतिकूल कारण बताने कि लिए संबद्ध जिला पंचायत के सदस्य को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् सचिव पंचायत का यह समाधान हो जाता है कि जिला पंचायत के किसी धन या अन्य संपत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन ऐसे सदस्य के भाग पर अवचार या जानबूझकर उपेक्षा का प्रत्यक्ष परिणाम है तो वह, प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से लिखित में आदेश द्वारा ऐसे सदस्य को नियत तारीख से पूर्व ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए अपेक्षित रकम की प्रतिपूर्ति के संदाय के लिए जिला पंचायत को निदेश दे सकेगा :

परंतु ऐसा कोई आदेश सद्भावना या तकनीकी अनियमितताएं या सदस्य की भूल के लिए नहीं किया जाएगा।

(3) यदि रकम इस प्रकार संदत्त नहीं की जाती है तो सचिव पंचायत इसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करेगा और इसे जिला पंचायत निधि में जमा करेगा।

(4) सचिव पंचायत का कोई आदेश, प्रशासक की किसी अपील के अधीन होगा यदि वह आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर किया जाता है और प्रशासक ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, और अपीलार्थी को सुनने के पश्चात् आदेश को विखंडित या फेरफार या पुष्ट कर सकेगा।

(5) सभी की गई कार्रवाइयां या धारा 94, धारा 95 और इस धारा के अधीन किए गए आदेश यथाशीघ्र प्रशासक को रिपोर्ट किए जाएंगे।

97. जिला पंचायत का विघटन—(1) यदि प्रशासक की राय में जिला पंचायत—

(क) अपनी शक्तियों का अतिक्रमण करती है या उनका दुरुपयोग करती है; या

(ख) इस विनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित कर्तव्यों के पालन करने में अक्षम है या उनके अनुपालन में जानबूझकर और लगातार व्यतिक्रम करती है; या

(ग) अनुदानों सहित लोक धनों का दुर्विनियोग करती है; या

(घ) इस विनियम के अधीन उद्ग्रहणीय करों का उद्ग्रहण करने में असफल रहती है; या

(ङ) धारा 96 की उपधारा (2) के अधीन किए गए आदेश की लगातार अवज्ञा करती है, वहां प्रशासक, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, जिला पंचायत का विघटन कर सकेगा और यह निदेश दे सकेगा कि इस विनियम में उपबंधित रीति में इसका पुनर्गठन किया जाएगा।

(2) जिला पंचायत को स्पष्टीकरण देने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन जिला पंचायत विघटित हो जाती है तो निम्नलिखित परिणाम घटित होंगे, अर्थात् :

(क) जिला पंचायत के सभी सदस्य, आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से सदस्य नहीं रहेंगे;

(ख) जिला पंचायत के विघटन की अवधि के दौरान जिला पंचायत की सभी शक्तियों और कर्तव्य का प्रयोग तथा निर्वहन इस निमित्त ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जो प्रशासक द्वारा नियुक्त किए जाएं;

(ग) धारा 73 के अधीन नियुक्त जिला पंचायत की स्थायी समिति विघटित हुई समझी जाएगी और जिला पंचायत के सभी सदस्य इसके विघटन की तारीख से ही पद रिक्त कर देंगे।

(4) ऐसे विघटन के पश्चात् जिला पंचायत के पुनर्गठन के लिए कोई निर्वाचन, उसके विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरा किया जाएगा।

98. शक्तियों का प्रत्यायोजन—प्रशासक, अधिसूचना द्वारा, और ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, सचिव पंचायत या उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को जिला पंचायतों के संबंध में ऐसी किन्हीं शक्तियों का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा जिसका उसके द्वारा धारा 121 के अधीन नियम बनाने की शक्तियों के सिवाय इस विनियम के अधीन प्रयोग किया जा सकेगा।

अध्याय 8
निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग

99. निर्वाचन आयोग—(1) अंदमान और निकोबार द्वीप (पंचायत) विनियम, 1994 (1994 का विनियम सं० 1) की धारा 185 के अधीन नियुक्त निर्वाचन आयोग, अधीक्षण, निदेश और निर्वाचक नामावली की तैयारी के नियंत्रण तथा संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नागर हवेली में ग्राम पंचायतों और जिला पंचायत के सभी निर्वाचनों के संचालन के लिए निर्वाचन आयोग होगा।

(2) प्रशासक, जब निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, उस आयोग को ऐसे कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगा जो उपधारा (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को प्रदत्त कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हो सकें।

100. वित्त आयोग—अंदमान और निकोबार द्वीप (पंचायत) विनियम, 1994 की धारा 186 के अधीन गठित वित्त आयोग, पंचायतों की वित्तीय प्रास्थिति के पुनर्विलोकन के प्रयोजन के लिए वित्त आयोग होगा और निम्नलिखित के बारे में प्रशासक, संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नागर हवेली को सिफारिश करेगा—

(क) वे सिद्धांत जिनके द्वारा निम्नलिखित को शासित करना चाहिए—

(i) करों, शुल्कों, उपकरों और फीसों की शुद्ध आय को संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन और ग्राम पंचायतों तथा जिला पंचायतों के बीच बांटना जिसे संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा उद्गृहीत किया जा रहा है और जिसे ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों से हिस्सा बांटा जा सकेगा और सभी स्तरों पर ऐसी आय के उनके हिस्से को ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में विभाजित करना;

(ii) करों, शुल्कों, उपकरों, पथकरों और फीसों का अवधारण करना जिनको ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों द्वारा उन्हें समनुदेशित या विनियोजित रूप दिया जा सकेगा;

(iii) भारत की संचित निधि से ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों को सहायता अनुदान;

(ख) ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों की वित्तीय प्रास्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय;

(ग) भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय।

अध्याय 9
पंचायतों के लिए ओमबड्समैन

101. ओमबड्समैन की स्थापना और नियुक्ति—(1) पंचायतों और उनके अधीन कार्य कर रहे लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक कृत्यों के निर्वहन में भ्रष्टाचार या कुप्रशासन या अनियमितताओं वाली किसी कार्रवाई के संबंध में अन्वेषणों और जांचों के संचालन के लिए ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों के लिए "ओमबड्समैन" के नाम से ज्ञात एक प्राधिकारी होगा।

(2) ओमबड्समैन, सिविल सोसाइटी से त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा से युक्त प्रख्यात व्यक्तियों के पैनल से प्रशासक द्वारा गठित की गई समिति की सिफारिश पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रशासक द्वारा नियुक्त किया गया एक सदस्यीय निकाय होगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :—

(क) राज्य निर्वाचन आयुक्त, जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश;

(ग) सेवानिवृत्त सिविल सेवक जो भारत सरकार के अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो;

(घ) प्रशासक द्वारा नामनिर्दिष्ट सिविल सोसाइटी के दो सदस्य।

(4) ओमबड्समैन के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व प्रशासक या उसके द्वारा उस निमित्त नियुक्त किए गए अन्य व्यक्ति के समक्ष विहित प्ररूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(5) ओमबड्समैन सेवारत सरकारी अधिकारी नहीं होगा।

102. विहित की जाने वाली प्रक्रियाएं—निम्नलिखित विषयों के लिए प्रशासक, नियमों द्वारा उपबंध कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) ओमबड्समैन के कर्मचारिवृंद;

(ख) ओमबड्समैन और ओमबड्समैन के कर्मचारिवृंद की सेवा के निबंधन और शर्तें;

(ग) ओमबड्समैन के समक्ष शिकायतें फाइल करने की रीति और या तो स्वप्रेरणा से अथवा प्रशासक द्वारा निर्देश पर ऐसी शिकायतों को फाइल किए जाने की रीति;

(घ) ओमबड्समैन की शक्तियां और कृत्य;

(ङ) ओमबड्समैन द्वारा अन्वेषण संचालित करने की रीति और प्रक्रिया;

(च) ओमबड्समैन द्वारा अभियोजन आरंभ के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा चलाई जाने वाली प्रक्रिया;

(छ) ओमबड्समैन द्वारा जांच के दौरान अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया जो यथा संभव संक्षिप्त कार्यवाही होनी चाहिए;

(ज) ओमबड्समैन के आदेश के क्रियान्वयन की रीति और अगली कार्यवाहियां;

(झ) कोई अन्य विषय जिसे प्रशासक, ओमबड्समैन के कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

अध्याय 10
प्रकीर्ण

103. निर्वाचन याचिका—(1) यदि ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के किसी सदस्य या सरपंच, उपसरपंच, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधिमान्यता का निर्वाचन में मतदान करने के लिए किसी अर्हित व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत किया जाता है, जिसमें ऐसा प्रश्न संबंधित है तो ऐसा व्यक्ति निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के पश्चात् तीस दिन के भीतर किसी समय ऐसे प्रश्न के अवधारण के लिए ऐसे प्ररूप में जिसे विहित किया जाए, जिला न्यायाधीश को याचिका फाइल कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक याचिका को यथासंभव शीघ्रता से सुना जाएगा और उस तारीख से जिसको जिला न्यायाधीश के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई है, छह मास के भीतर सुनवाई को समाप्त करने और आदेश पारित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

104. निर्वाचन याचिका की सुनवाई के लिए प्रक्रिया—(1) इस विनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा यथा उपबंधित के सिवाय, वादों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में उपबंधित प्रक्रिया जहां तक वह लागू हो सके, जिला न्यायाधीश द्वारा निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई में अनुसरित की जाएगी :

परंतु—

(क) दो या अधिक व्यक्ति जिनका निर्वाचन प्रश्नगत है, उसी याचिका में प्रत्यर्थी हो सकेंगे और उनके मामलों का उसी समय विचारण किया जा सकेगा और दो या अधिक निर्वाचन याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हो सकेगी; किंतु जहां तक जो ऐसे संयुक्त विचारण या सुनवाई से संगत है, याचिका, प्रत्येक प्रत्यर्थी के विरुद्ध पृथक् याचिका समझी जाएगी;

(ख) जिला न्यायाधीश से यह अपेक्षित नहीं होगा कि वह साक्ष्यों को पूर्ण रूप से अभिलिखित करे या अभिलिखित कराए किंतु वह मामले के विनिश्चय के प्रयोजन के लिए अपनी राय में पर्याप्त साक्ष्य का ज्ञापन करेगा;

(ग) जिला न्यायाधीश, कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर, किसी प्रत्यर्थी द्वारा उपगत या संभावित रूप से उपगत होने वाले सभी खर्चों के संदाय के लिए प्रतिभूति देने के लिए याची से अपेक्षा कर सकेगा;

(घ) जिला न्यायाधीश, किसी विवाद्यक को विनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, उतना मौखिक या दस्तावेजी के रूप में साक्ष्य जैसा वह आवश्यक समझे, प्रस्तुत करने या प्राप्त करने के लिए आबद्ध होगा।

(2) जिला न्यायाधीश द्वारा पारित खर्चों के संदाय के लिए आदेश या खर्चों के लिए प्रतिभूति बंधपत्र की वसूली के लिए किसी आदेश का निष्पादन ऐसी रीति में किया जाएगा मानो वसूल की जाने वाली रकम, भू-राजस्व की बकाया रकम थी।

105. जिला न्यायाधीश के निष्कर्ष—(1) यदि जिला न्यायाधीश, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, किसी व्यक्ति की बाबत जिसका निर्वाचन किसी याचिका द्वारा प्रश्नगत किया गया है, यह पता है कि उसका निर्वाचन विधिमान्य था तो याचिका, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध खर्चे सहित खारिज की जाएगी।

(2) यदि जिला न्यायाधीश यह पाता है कि किसी व्यक्ति का निर्वाचन अविधिमान्य है तो वह किसी आदेश द्वारा या तो—

(क) उद्भूत होने वाली आकस्मिक रिक्ति की घोषणा करेगा; या

(ख) किसी अन्य अभ्यर्थी को सम्यक्, रूप से निर्वाचित होने की घोषणा करेगा,

मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में अधिक समुचित प्रतीत होने वाले अनुक्रम और किसी भी मामले में जिला न्यायाधीश अपने विवेक से खर्चा प्रदान कर सकेगा।

(3) जिला न्यायाधीश द्वारा आकस्मिक रिक्ति के उद्भूत होने की घोषणा करने की दशा में, वह निर्वाचन आयोग को रिक्ति भरने के लिए कार्यवाही आरंभ करने के लिए उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट आदेश की एक प्रति भेजेगा।

106. निर्वाचन का परिवर्जन—(1) धारा 103 में किसी बात के होते हुए भी, निर्वाचन याचिका की सुनवाई के अनुक्रम में यदि जिला न्यायाधीश की यह राय है कि प्रश्नगत निर्वाचन कार्यवाहियों में साक्ष्य, भ्रष्ट व्यवहार को प्रकट करता है, ऐसी सीमा तक अभिभावी है जो उसको संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रियाओं को अपास्त करने के लिए सलाहकारी बनाता है तो वह इस प्रभाव का सशर्त आदेश पारित करेगा और प्रत्येक घोषित निर्वाचित अभ्यर्थी को सूचना देगा जो मामले में पहले पक्षकार नहीं बनाया गया है, ऐसे अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना देगा कि ऐसे सशर्त आदेश को अंतिम क्यों नहीं कर देना चाहिए।

(2) तत्पश्चात् ऐसा प्रत्येक अभ्यर्थी हाजिर हो सकेगा और कारण बता सकेगा तथा किसी ऐसे साक्षी को जो इस मामले में हाजिर हो चुका था, उसके समक्ष रखे जाने वाले प्रश्न के प्रयोजन के लिए, पुनः बुला सकेगा।

(3) जिला न्यायाधीश, तत्पश्चात् या तो सशर्त आदेश को रद्द करेगा या उसको आत्यंतिक करेगा, जिस मामले में वह निर्वाचन आयोग को नई निर्वाचन प्रक्रिया कराने के लिए उपाय किए जाने के लिए निदेश देगा।

107. भ्रष्ट या अवैध आचरण के लिए निरर्हता—जिला न्यायाधीश, किसी अभ्यर्थी को किसी भ्रष्ट आचरण किए जाने के लिए पाए जाने पर उसे ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए या इस विनियम के अधीन किसी निर्वाचन के लड़ने के लिए या प्रशासन या किसी स्थानीय प्राधिकरण में किसी पद या स्थान पर नियुक्त या बनाए रखने के लिए पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए जो जिला न्यायाधीश, अवधारित करे, अपात्र होना घोषित कर सकेगा।

108. निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का वर्जन—(1) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस विनियम के अधीन किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में स्थानों के आबंटन से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की विधिमान्यता किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी।

(2) धारा 103, धारा 104, धारा 105, धारा 106 और धारा 107 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सिविल न्यायालय के पास इस विनियम के अधीन निर्वाचन के संचालन के संबंध में निर्वाचन आयोग या सचिव पंचायत या सचिव (निर्वाचन) (स्थानीय निकाय) द्वारा की गई कार्रवाई या दिए गए विनिश्चय की वैधता या विधिमान्यता पर प्रश्न करने की अधिकारिता नहीं होगी।

109. एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध—(1) यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के या जिला पंचायत के या दोनों के एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र, से निर्वाचित होता है तो वह अपने द्वारा हस्ताक्षरित लेख में सूचना देगा और उस तारीख या तारीखों के बाद को जिसको वह इस प्रकार निर्वाचित हुआ है, चौदह दिन के भीतर किसी निर्वाचन-क्षेत्र में जिसमें वह सेवा करने के लिए इच्छुक है, के बारे में सूचना देगा और तदुपरि ऐसे सभी अन्य निर्वाचन-क्षेत्रों में उसका स्थान जिनमें वह सेवा करने के लिए इच्छुक नहीं है, रिक्त हो जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी सूचना के व्यतिक्रम में, ऐसे व्यक्ति के सभी स्थान, उस अवधि की समाप्ति पर रिक्त हो जाएंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन दी गई कोई सूचना अंतिम और अप्रतिसंहरणीय होगी।

110. जिला पंचायत, ग्राम पंचायत आदि के विरुद्ध कार्रवाई का वर्जन और संस्थित होने के पहले पूर्व सूचना—इस विनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या उपनियम के अधीन की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए किसी ग्राम पंचायत या जिला पंचायत या किसी सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी या ऐसी पंचायत के अभिकर्ता के विरुद्ध, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही तब तक संस्थित नहीं की जाएगी जब तक ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के कार्यालय में और ऐसे सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी या उसके अभिकर्ता के निवास पर भी जिसके विरुद्ध, यथास्थिति, ऐसा वाद या कार्यवाही संस्थित की जानी आशयित है, की तामील या परिदान लिखित में अगले दो मास की समाप्ति के ठीक पश्चात् न कर दिया गया हो और सूचना में वाद हेतुक, चाहे गए अनुतोष की प्रकृति, दावा किए गए प्रतिकर की रकम और वह व्यक्ति जो वाद या कार्यवाही संस्थित करने का आशय रखता है, के नाम और आवास के पते का कथन होगा :

परंतु किसी ऐसी बात के संबंध में जो इस विनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या उपनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है और किए जाने के लिए आशयित है, ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के किसी सदस्य, अधिकारी या अभिकर्ता के विरुद्ध कोई वाद या कार्यवाही नहीं होगी।

111. निर्वाचन संबंधी अपराध—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 126, धारा 127, धारा 127क, धारा 128, धारा 129, धारा 130, धारा 131, धारा 132, धारा 132क, धारा 133, धारा 134, धारा 134क, धारा 134ख, धारा 135, धारा 135क, धारा 135ख, धारा 135ग और धारा 136 के उपबंधों का ऐसा प्रभाव होगा मानो—

(क) उसमें किसी निर्वाचन के प्रति निर्देश, इस विनियम के अधीन किसी निर्वाचन के प्रति निर्देश थे;

(ख) उसमें निर्वाचन-क्षेत्र के प्रति निर्देश पंचायत या उसके किसी वार्ड की अधिकारिता के भीतर क्षेत्र के प्रति निर्देश सम्मिलित हैं; और

(ग) "धारा 134 और धारा 136 में, इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन" शब्दों के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली पंचायत विनियम, 2012 के द्वारा या उसके अधीन" शब्द रखे गए थे;

(घ) धारा 135ख की उपधारा (1) में, "लोक सभा या राज्य विधान सभा" शब्दों के स्थान पर "पंचायत" शब्द रखा गया था।

112. प्रवेश की शक्ति—मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपने किन्हीं अधिकारियों को उसमें प्रवेश करने के लिए और निरीक्षण करने के लिए या प्रवेश और निरीक्षित कराए जाने के लिए, किसी ग्राम पंचायत या जिला पंचायत द्वारा कब्जे में किसी स्थावर संपत्ति या ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के निदेश के अधीन कार्य की प्रगति के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

113. पंचायतों के सदस्यों का लोक सेवक होना—ग्राम पंचायत या जिला पंचायत का प्रत्येक सदस्य और ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के अधीन नियोजित प्रत्येक अधिकारी और सेवक, भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

114. विक्रय आदि में भाग लेने से सदस्यों आदि का विरत रहना—ग्राम पंचायत या जिला पंचायत का कोई सदस्य या इस विनियम के अधीन किसी विक्रय के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करने वाले उनके कोई अधिकारी या पदधारी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे विक्रय पर विक्रीत किसी संपत्ति के लिए कोई बोली नहीं लगाएंगे या हित का अर्जन नहीं करेंगे।

115. अपराधों और पंचायतों की सहायता के संबंध में पुलिस की शक्तियां और कर्तव्य—प्रत्येक पुलिस अधिकारी, उसके ज्ञान में आने वाले किसी अपराध, जो इस विनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या उपविनियमों के विरुद्ध किया गया है, की तुरंत सूचना, सचिव पंचायत को देगा और उनके विधिपूर्ण प्राधिकार के प्रयोग में ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के सभी सदस्यों और सेवकों को सहायता देगा।

116. अभिलेखों का वर्गीकरण और परिरक्षण—प्रत्येक ग्राम पंचायत और जिला पंचायत विहित रीति से अपने अभिलेखों को वर्गीकृत और परिरक्षित करेंगे।

117. अभिलेखों का निरीक्षण और प्रतियां—प्रत्येक ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा उसको आवेदन किए जाने पर उसके अभिलेखों के निरीक्षण को अनुज्ञात करेंगे और विहित फीस के संदाय पर उसकी प्रमाणित प्रतियां प्रदान करेंगे।

118. विकास योजना की तैयारी—(1) प्रत्येक ग्राम पंचायत (ग्राम सभा द्वारा सुझाए गए विकास कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए) प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी और ऐसी तारीख के पूर्व और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, उसको जिला पंचायत को अग्रेषित करेगी।

(2) प्रत्येक जिला पंचायत, ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं को सम्मिलित करने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष एक विकास योजना तैयार करेगी और उसको धारा 119 के अधीन यथागठित जिला योजना समिति को अग्रेषित करेगी।

119. जिला योजना समिति—(1) प्रशासक, जिला योजना तैयार करने के लिए ऐसे सदस्यों से, जो विहित किए जाएं, मिलकर बनने वाली जिला योजना समिति गठित करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति की बैठक और कृत्य ऐसे होंगे जो विहित किए जा सके।

120. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, उपसरपंच और अन्य सदस्यों को मानदेय और भत्ते—ग्राम पंचायत के सरपंच और उपसरपंच और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मानदेय और अन्य अनुलाभ और परिलब्धियां तथा ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के प्रत्येक सदस्य के भत्ते ऐसे होंगे जो प्रशासक इस निमित्त नियम बनाकर विनिर्दिष्ट कर सके।

121. नियम बनाने की शक्ति—(1) प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन के अधीन रहते हुए, इस विनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे—

(क) वह रीति जिसमें ग्राम पंचायत की आस्तियां और दायित्व जो समाप्त हो गए हैं, उनको धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन व्ययनित किया जाएगा;

(ख) प्राधिकारी, जो धारा 8 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन ग्राम सभा के अधिवेशन बुलाएगा;

(ग) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन अधिवेशन के समय और स्थान की सूचना देने की रीति;

(घ) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन पर्यवेक्षण समितियों के गठन की रीति;

(ङ) वह रीति जिसमें धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों के बीच महिलाओं को आबंटित स्थानों को चक्रानुक्रमित किया जाएगा;

(च) वह रीति जिसमें धारा 12 की उपधारा (7) के अधीन विभिन्न ग्राम पंचायतों के बीच अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रमित किया जाएगा;

(छ) वह रीति जिसमें धारा 12 की उपधारा (9) के परंतुक के अधीन, पंचायतों के बीच अधिकारियों को चक्रानुक्रमित किया जाएगा;

(ज) धारा 16 के अधीन पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन कराने की रीति और मतदान कराने की रीति;

(झ) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन उप-सरपंच के निर्वाचन की रीति;

(ञ) अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या और वह रीति जिसमें ऐसे अधिकारी या कर्मचारी, धारा 25 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त किए जाएंगे;

(ट) धारा 25 की उपधारा (6) के अधीन पंचायत सचिव की सेवा और कर्तव्यों के निबंधन और शर्तें तथा अन्य अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें;

(ठ) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन ग्राम पंचायत की बैठकों का समय और स्थान और ऐसी बैठकों में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;

(ड) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन संकल्प प्रस्तावित करने और प्रश्न रखने के लिए प्रक्रिया;

(ढ) ऐसे नियंत्रण और निर्बंधन जिनके अधीन रहते हुए ग्राम पंचायत धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन समितियां नियुक्त कर सकेगी;

(ण) ऐसे कारण और रीति जिसमें समितियां धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन विघटित या पुनर्गठित की जा सकेंगी;

(त) ऐसी शर्तें जिसके अधीन रहते हुए धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन प्रशासक, ग्राम पंचायत को कर, भू-राजस्व तथा भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलीय अन्य देयों के संग्रहण के कृत्यों और कर्तव्यों को सौंप सकेगा;

(थ) ऐसे नियम जिनके अधीन रहते हुए ग्राम पंचायत, धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन स्वैच्छिक ग्राम बल का संगठित कर सकेगी;

(द) अभिरक्षा जिसमें ग्राम निधि को धारा 35 की उपधारा (3) के अधीन रखा जाएगा;

(ध) उन नियमों के अधीन रहते हुए जिनमें ग्राम पंचायत, धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन कर का उद्ग्रहण कर सकेगी;

(न) वह समय और रीति जिनमें करों और फीसों को धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन निर्धारित और वसूल किया जाएगा;

(प) धारा 41 के अधीन लोक नीलामी या संविदा द्वारा पट्टा करने की प्रक्रिया;

(फ) वह प्ररूप जिसमें धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन मांग सूचना भेजी जाएगी;

(ब) वह रीति जिसमें धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन मांग सूचना तामील की जाएगी;

(भ) वह प्ररूप जिसमें धारा 43 के अधीन लेखे रखे जाएंगे;

(म) वह समय जिस पर और वह रीति जिसमें धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा बजट तैयार किया जाएगा;

(य) वह अवधि जिसके भीतर धारा 44 की उपधारा (2) के अधीन जिला पंचायत बजट का अनुमोदन कर सकेगी या वापस कर सकेगी;

(यक) वह अवधि जिसके भीतर धारा 44 की उपधारा (3) के अधीन बजट जिला पंचायत को पुनः प्रस्तुत किया जाना है;

(यख) वह रीति जिसमें धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन ग्राम पंचायत के लेखे की संपरीक्षा की जाएगी;

(यग) प्राधिकारी जो संपरीक्षा, पूर्णता का क्रियान्वयन करेगा और धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन उसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी और ग्राम पंचायत को भेजा जाना;

(यघ) वह प्ररूप और रीति जिनमें आरक्षण का चक्रानुक्रम, जिसके अनुसार धारा 61 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष का पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जाएगा;

(यङ) धारा 68 की उपधारा (6) के अधीन कर्मचारिवृंद की सेवा के निबंधन और शर्तें;

(यच) धारा 70 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन जिला पंचायत के अधिकारियों और कर्मचारियों के नियंत्रण के लिए नियमों की विरचना;

(यछ) ऐसे अन्य कृत्य और शक्तियां जिनका निर्वहन और प्रयोग मुख्य कार्यपालक अधिकारी धारा 70 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन कर सकेगा;

(यज) धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन जिला पंचायत के अधिवेशन का समय और स्थान और ऐसे अधिवेशन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया;

(यझ) वह रीति जिसमें धारा 72 की उपधारा (2) के अधीन जिला पंचायत के समक्ष प्रश्न रखे जा सकेंगे और संकल्प प्रस्तावित किए जा सकेंगे;

(यञ) ऐसे नियम जिनके अधीन रहते हुए जिला पंचायत, धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन स्थायी समिति के सदस्य नियुक्त कर सकेगी;

(यट) धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन समितियों का गठन और अवधि;

(यठ) ऐसे नियम जिनमें तथा ऐसी दरें जिन पर जिला पंचायत, धारा 83 के अधीन शुल्कों और फीसों का उद्ग्रहण कर सकेगी;

(यड) धारा 86 के अधीन लोक नीलामी या प्राइवेट संविदा द्वारा पट्टे के लिए प्रक्रिया;

(यढ) वह प्ररूप जिसमें धारा 87 की उपधारा (1) के अधीन मांग की सूचना दी जाएगी;

(यण) वह रीति जिसमें धारा 87 की उपधारा (2) के अधीन मांग की सूचना तामील की जा सकेगी;

(यत) वह प्ररूप जिसमें धारा 88 के अधीन जिला पंचायत अपनी प्राप्तियों और व्यय का लेखा रखेगा;

(यथ) वह समय और रीति जिनमें धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन बजट तैयार किया जा सकेगा;

(यद) वह अवधि जिसके भीतर सचिव पंचायत धारा 89 की उपधारा (2) के अधीन बजट का अनुमोदन या उसे वापस कर सकेगा;

(यध) वह रीति जिसमें धारा 90 की उपधारा (1) के अधीन जिला पंचायत के लेखाओं की संपरीक्षा की जाएगी;

(यन) वह रीति जिसमें धारा 91 के अधीन पिछले वर्ष के लिए जिला पंचायत के प्रशासन पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी;

(यप) वह रीति जिसमें, ऐसे अंतरालों जिन पर और ऐसे अधिकारी जिनके द्वारा, धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन मुख्य संकर्मों की सामाजिक परीक्षा की जाएगी;

(यफ) ऐसे अधिकारी, जिनको धारा 92 की उपधारा (2) के अधीन सामाजिक संपरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी;

(यब) ऐसे प्ररूप जिसमें धारा 101 की उपधारा (4) के अधीन ओमबड्समैन द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किया जाएगा;

(यभ) वह प्ररूप जिसमें धारा 103 की उपधारा (1) के अधीन जिला न्यायाधीश को ग्राम पंचायत या जिला पंचायत से संबंधित निर्वाचन याचिका फाइल की जाएगी;

(यम) वह रीति जिसमें धारा 116 के अधीन अभिलेखों को वर्गीकृत और बनाए रखा जाएगा;

(यय) धारा 117 के अधीन अभिलेखों के निरीक्षण के लिए और प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने के लिए संदत्त की जाने वाली फीस;

(ययक) वह तारीख और रीति जिसमें धारा 118 की उपधारा (1) के अधीन विकास योजना अग्रेषित की जाएगी;

(ययख) धारा 119 की उपधारा (1) के अधीन जिला योजना समिति का गठन करने वाले सदस्यों की संख्या, जिला योजना करने के लिए प्रयोजन और शर्तें;

(ययग) धारा 119 की उपधारा (2) के अधीन समिति की बैठकें और कृत्य;

(ययघ) धारा 120 के अधीन ग्राम सभा के सरपंच और उपसरपंच तथा ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मानदेय, परिलब्धियां तथा ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के प्रत्येक सदस्य के भत्ते;

(ययङ) धारा 122 की उपधारा (2) के अधीन उपविधियों के उल्लंघन और सतत उल्लंघन के लिए जुर्माने की रकम;

(ययच) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित हो या जिसको विहित किया जा सके।

122. उपविधियां बनाने की शक्ति—(1) इस विनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सचिव पंचायत, प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित के लिए उपविधियां विरचित कर सकेगा—

(क) किसी ऐसे स्रोत से जिससे स्वास्थ्य को खतरा होने की संभावना है, पीने के प्रयोजन के लिए जल को हटाने या उसके प्रयोग का प्रतिषेध;

(ख) नालियों या सार्वजनिक गली पर परिसरों से, या नदी, कुंड, तालाब, कुंए, मृदा या किसी अन्य स्थान में जल, अपशिष्ट जल के निकास या बहिःस्राव को प्रतिषेध करना या विनियमित करना;

(ग) सार्वजनिक गलियों की क्षति रोकना;

(घ) ग्राम पंचायत के क्षेत्र में स्वच्छता, सफाई व्यवस्था और जल निकासी को विनियमित करना;

(ङ) दुकानदार द्वारा सार्वजनिक गलियों या अन्य सार्वजनिक स्थान के उपयोग को प्रतिषिद्ध करना या विनियमित करना;

(च) उस रीति को विनियमित करना जिसमें कुंड, तालाब और हौदी, चारागाह भूमि, खेलने की भूमि, खाद के गड्ढे, शवों के स्थान और स्नान के स्थानों के लिए भूमि का रखरखाव किया जाएगा और उपयोग किया जाएगा;

(छ) वायु, जल और मृदा आदि के प्रदूषण से किसी प्रकार के बहिःस्राव का प्रतिषेध या निकासी; और

(ज) ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के किन्हीं अन्य कर्तव्यों और कृत्यों को विनियमित करना।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाई गई कोई उपविधि यह उपबंध कर सकेगी कि उसका उल्लंघन, जो विहित रकम तक के जुर्माने से दंडनीय होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहने की दशा में ऐसे जुर्माने से जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, विहित रकम तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

123. नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना—इस विनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक उपविधि उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या उपविधि में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं और दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या उपविधि नहीं बनाई जानी चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, वह नियम या उपविधि केवल ऐसे उपांतरित रूप में या निष्प्रभावी हो जाएगी तथापि, ऐसे किसी उपांतरण या बातिलीकरण से उस नियम या उपविधि के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

124. कठिनाइयों को दूर किया जाना—(1) इस विनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो प्रशासक, जब ऐसा अवसर अपेक्षित हो, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसी कोई बात कर सकेगा जो उसको कठिनाई को शीघ्र दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो :

परंतु ऐसा कोई आदेश, इस विनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसको किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

125. निरसन और व्यावृत्ति—(1) दादरा और नागर हवेली पंचायत विनियम, 1965 निरसित किया जाता है।

(2) उक्त विनियम का निरसन निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं डालेगा—

(क) उक्त विनियम का पूर्व प्रचालन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या हुई कोई बात; या

(ख) उक्त विनियम के अधीन अर्जित, उद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व; या

(ग) उक्त विनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दंड;

(घ) पूर्वोक्तानुसार ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, समपहरण, या दंड के संबंध में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही, या उपचार जो संस्थित, जारी या प्रवृत्त किया जा सके और ऐसी शास्ति, समपहरण या दंड ऐसे अधिरोपित किया जा सकेगा मानो यह विनियम प्रख्यापित नहीं किया गया था।

पहली अनुसूची

(धारा 20 और धारा 60 देखिए)

पद की शपथ

मैं ..... जो ग्राम पंचायत/जिला पंचायत ..... का सदस्य/सरपंच /उपसरपंच/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा और मैं श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, भय या पक्षपात या दुर्भाव के बिना शुद्ध अन्तःकरण से निर्वहन करुंगा।

स्थान .....

तारीख .....

हस्ताक्षर

दूसरी अनुसूची

(धारा 29 देखिए)

ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर के विषय

(क) साधारण कृत्य :—

(1) ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजनाओं की तैयारी;

(2) प्राकृतिक आपदाओं में राहत प्रदान करना;

(3) ग्राम पंचायत की संपत्तियों के अतिक्रमण को हटाना;

(4) स्वैच्छिक श्रम संगठित करना और समुदाय के कार्यों में योगदान करना;

(5) ग्राम की आवश्यक सांख्यिकी का अनुरक्षण करना।

(ख) निम्नलिखित सभी विषय, अर्थात् :—

(1) कृषि, जिसमें कृषि विस्तार सम्मिलित है।

(2) भूमि सुधार, भूमि सुधार का क्रियान्वयन भूमि समेकन और भूरक्षण से संरक्षण।

(3) लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जलसंभर विकास।

(4) पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन।

(5) मत्स्य पालन।

(6) सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी।

(7) लघु वन उत्पाद।

(8) लघु उद्योग जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सम्मिलित हैं।

(9) खादी, ग्राम और कुटिर उद्योग।

(10) ग्रामीण आवास।

(11) पेय जल।

(12) ईंधन और चारा।

(13) सड़क, पुलिया, पुल, नौका, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन।

(14) ग्रामीण विद्युतिकरण जिसमें विद्युत का वितरण सम्मिलित है।

(15) गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत।

(16) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।

(17) शिक्षा जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सम्मिलित हैं।

(18) तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा।

(19) प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।

(20) पुस्तकालय।

(21) सांस्कृतिक गतिविधियां।

(22) बाजार और मेले।

(23) स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय सम्मिलित हैं।

(24) परिवार कल्याण।

(25) महिला और बाल विकास।

(26) समाज कल्याण जिसमें विकलांग और मानसिक नि:शक्त व्यक्तियों का कल्याण भी सम्मिलित है।

(27) समाज के दुर्बल वर्ग और विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।

(28) सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

(29) सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।

तीसरी अनुसूची

(धारा 76 देखिए)

जिला पंचायत की अधिकारिता के भीतर के विषय

(क) साधारण कृत्य :—

(1) वार्षिक योजनाओं की तैयारी और एक से अधिक ग्राम पंचायत में आने वाले कार्यों का निष्पादन;

(2) जिला योजनाओं की तैयारी;

(3) ऐसे कार्य ग्रहण करना जिनको ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता है किन्तु जिला पंचायत द्वारा निष्पादित किया जा सकता है;

(4) प्रशासक द्वारा जिला पंचायत को समनुदेशित किसी कृत्य का निष्पादन करना;

(ख) निम्नलिखित सभी विषय, अर्थात् :—

(1) कृषि, जिसमें कृषि विस्तार सम्मिलित है।

(2) भूमि सुधार, भूमि सुधार का क्रियान्वयन, भूमि समेकन और भूक्षरण से संरक्षण।

(3) लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जलसंभर विकास।

(4) पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन।

(5) मत्स्य पालन।

(6) सामाजिक वानिकी और फार्मवानिकी।

(7) लघु वन उत्पाद।

(8) लघु उद्योग जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सम्मिलित हैं।

(9) खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग।

(10) ग्रामीण आवास।

(11) पेय जल।

(12) ईंधन और चारा।

(13) सड़क, पुलिया, पुल, नौका, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन।

(14) ग्रामीण विद्युतिकरण जिसमें विद्युत् का वितरण सम्मिलित है।

(15) गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत।

(16) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।

(17) शिक्षा जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सम्मिलित हैं।

(18) तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा।

(19) प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा।

(20) पुस्तकालय।

(21) सांस्कृतिक गतिविधियां।

(22) बाजार और मेले।

(23) स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय सम्मिलित हैं।

(24) परिवार कल्याण।

(25) महिला और बाल विकास।

(26) समाज कल्याण जिसमें विकलांग और मानसिक नि:शक्त व्यक्तियों का कल्याण भी सम्मिलित है।

(27) समाज के दुर्बल वर्ग और विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।

(28) सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

(29) सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।

चौथी अनुसूची

(धारा 75 देखिए)

ऐसे विषय, जिन पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से प्रशासक द्वारा सलाह ली जा सकेगी :—

(1) जिला पंचायत से संबंधित सभी साधारण विषय।

(2) जिला पंचायतों के कर्मचारिवृंद के प्रशिक्षण से संबंधित विषय।

(3) जिला पंचायत के प्रशासन का पुनर्विलोकन और जिला पंचायतों के क्रियाकलापों का समन्वयन।

(4) जिला पंचायत की कठिनाइयों को दूर करना।

(5) लघु उद्योग से संबंधित विषय, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी सम्मिलित है।

(6) संघ राज्यक्षेत्र स्तर के शैक्षिक संस्थाओं से संबंधित विषय।

(7) इसके करों से संबंधित प्रस्ताव।

(8) कोई अन्य विषय जिस पर प्रशासक परामर्श करना चाहे।

पांचवीं अनुसूची

(धारा 14 और धारा 58 देखिए)

दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध।

1. निर्वचन—इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "पंचायत" से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243ख के अधीन गठित स्वायत शासन की संस्था (चाहे किसी नाम से ज्ञात हो) अभिप्रेत है,—

(ख) पंचायत के किसी सदस्य के संबंध में जो पैरा 2 या पैरा 3 के उपबंधों के अनुसार किसी राजनैतिक दल का सदस्य है, "ग्राम पंचायत" से उस पंचायत के ऐसे सभी सदस्यों का समूह अभिप्रेत है जो उक्त उपबंधों के अनुसार तत्समय उस राजनीतिक दल के सदस्य हैं ;

(ग) पंचायत के किसी सदस्य के संबंध में "मूल राजनैतिक दल" ऐसा राजनैतिक दल अभिप्रेत है जिसको वह पैरा 2 के उपपैरा (1) के प्रयोजनों के लिए सदस्य है।

(घ) "पैरा" से इस अनुसूची का पैरा अभिप्रेत है।

2. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता—(1) पैरा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए पंचायत का कोई सदस्य जो किसी राजनैतिक दल का सदस्य है, पंचायत का सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हित होगा यदि—

(क) उसने ऐसे राजनैतिक दल की अपनी सदस्यता स्वैच्छा से छोड़ दी है ; या

(ख) वह ऐसे राजनैतिक दल द्वारा जिसका वह सदस्य है अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरुद्ध ऐसे राजनैतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी पंचायत में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है और ऐसे मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर उपमर्षित नहीं किया है ;

स्पष्टीकरण—इस उपपैरा के प्रयोजनों के लिए, पंचायत के किसी निर्वाचित सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि ऐसे राजनीतिक दल का, यदि कोई हो, सदस्य है जिसने उसे ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़ा किया था।

(2) पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य जो किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप में निर्वाचित हुआ है, पंचायत का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह ऐसे निर्वाचन के पश्चात् किसी राजनैतिक दल में सम्मिलित हो जाता है।

(3) इस पैरा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो, दादरा और नागर हवेली पंचायत विनियम, 2012 के प्रारंभ पर किसी पंचायत का सदस्य है—

(i) जहां वह ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले किसी राजनैतिक दल का सदस्य था, वहां इस पैरा के उपपैरा (1) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए ऐसे अभ्यर्थी के रूप में ऐसी पंचायत का सदस्य निर्वाचित हुआ है।

(ii) किसी अन्य दशा में इस पैरा के उपपैरा (2) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह पंचायत का ऐसा निर्वाचित सदस्य है जो किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप में निर्वाचित हुआ है।

3. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का विलय की दशा में लागू न होना—(1) पंचायत का कोई सदस्य, पैरा 2 के उपपैरा (1) के अधीन निरर्हित नहीं होगा जहां उसके मूल राजनैतिक दल का किसी अन्य राजनैतिक दल से विलय होता है और वह यह दावा करता है कि वह और उसके मूल राजनैतिक दल का कोई अन्य सदस्य—

(क) यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनैतिक दल के या ऐसे विलय से बने नए राजनैतिक दल के सदस्य बन गए हैं ;

(ख) उन्होंने विलय को स्वीकार नहीं किया है और पृथक समूह के रूप में कार्य करने का विनिश्चय किया है तथा ऐसे विलय के समय से यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनैतिक दल या नये राजनैतिक दल या समूह के बारे में यह समझा जाएगा कि वह पैरा 2 के उपपैरा (1) में प्रयोजनों के लिए ऐसा राजनीतिक दल है जिसका वह सदस्य है और वह इस उपपैरा के प्रयोजनों के लिए उसका मूल राजनीतिक दल है।

(2) इस पैरा के उपपैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, पंचायत के किसी सदस्य के मूल राजनैतिक दल का विलय होना तभी समझा जाएगा यदि और केवल यदि संबद्ध पंचायत में ऐसे राजनैतिक दल के कम से कम दो तिहाई सदस्य ऐसे विलय पर सहमत हो गए हैं।

4. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रश्नों पर विनिश्चय—(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि, पंचायत का कोई सदस्य इस अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है तो प्रश्न को ऐसे प्रशासक के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) ऐसे किसी प्रश्न पर कोई विनिश्चय करने से पूर्व प्रशासक, अंदमान और निकोबार द्वीप (पंचायत) विनियम, 1994 (1994 का 1) की धारा 185 के अधीन नियुक्त निर्वाचन आयोग की राय अभिप्राप्त करेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

5. नियम—प्रशासक, इस अनुसूची के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा और विशिष्टितया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा—

(क) पंचायत के विभिन्न सदस्य, जिन राजनैतिक दलों के, यदि कोई हैं, सदस्य हैं, उनके बारे में रजिस्टर या अन्य अभिलेख रखना।

(ख) ऐसी रिपोर्ट जिसको पंचायत के किसी सदस्य के संबंध में राजनैतिक दल का नेता ऐसे सदस्य की बाबत पैरा 2 के उपपैरा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति के उपमर्षित के संबंध में देगा, वह समय जिसके भीतर और वह प्राधिकारी जिसको ऐसी रिपोर्ट दी जाएगी ;

(ग) ऐसी रिपोर्ट जिसको राजनीतिक दल पंचायत के किसी सदस्य के ऐसी राजनैतिक दल की प्रविष्टि करने के संबंध में देगा और पंचायत का ऐसा अधिकारी जिसको ऐसी रिपोर्ट दी जाएगी ; और

(घ) पैरा 4 में निर्दिष्ट किसी प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत ऐसी किसी जांच की प्रक्रिया है जो ऐसे प्रश्न के विनिश्चय के प्रयोजन के लिए की जा सकेगी।

रवि कुमार वर्मा,
अपर विधायी परामर्शी
भारत सरकार